

VARDHMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY, KOTA

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

Established by an act of Rajasthan Legislative Assembly and Recognized by UGC, NCTE and AIU



द्विवर्षीय शिक्षा में स्नातक (बी.एड.) पाठ्यक्रम (दूरस्थ शिक्षा माध्यम द्वारा)

सत्र : 2024-25

बी.एड कार्यक्रम विवरणिका

प्रवेश वरीयता सूची में स्थान प्राप्त करने की स्थिति में काउंसलिंग में आने से पहले इस विवरणिका को अवश्य पढ़ लें और इसके साथ संलग्न फार्म भरकर एवं शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र एवं अन्य समस्त मूल दस्तावेजों की एक सत्यापित फोटो प्रति के साथ काउंसलिंग के समय अवश्य लेकर आये।

(इस विवरणिका को जब तक आपकी बी.एड. चल रही है तब तक संभालकर रखें।)

स्नातक शिक्षा (बी.एड.) संबंधी मान्यता आदेश

यह पाठ्यक्रम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली के उत्तर क्षेत्रीय समिति (NRC-NCTE), जयपुर से मान्यता प्राप्त है। इस पाठ्यक्रम को आरम्भ करने हेतु NRC-NCTE, जयपुर ने मान्यता आदेश संख्या : F-3/RJ-22/ B.Ed. (D.E)/2000/9745 के तहत दिनांक 21.8. 2000 को स्थायी मान्यता आदेश जारी किया। तथा यू.जी.सी. ने पत्र क्रमांक F.No.6-7/2018(DEB-III) दिनांक 18.10.2018 द्वारा मान्यता को जारी रखा है। इस पाठ्यक्रम में कुल सीटों की संख्या 500 है।

Toll Free: 1800 – 180 – 6166
Phone: 0744-2797000, Fax No.:07442472525
E-mail: soe@vmou.ac.in , info@vmou.ac.in

Website: www.vmou.ac.in

डॉ. कैलाश सोडाणी

कुलपति

श्री के.के.गोयल कुलसचिव	प्रो. बी. अरुण कुमार निदेशक (संकाय)	डॉ. कीर्ति सिंह निदेशक, शिक्षा विद्यापीठ
शिक्षा विद्यापीठ संकाय सदस्य		
1.डॉ कीर्ति सिंह (सह आचार्य)	9414024810	keertisingh@vmou.ac.in soe@vmou.ac.in
2.	डॉ अनिल कुमार जैन(आचार्य) On Lien	
3.	डॉ.पतंजलि मिश्र (सहायक आचार्य) On Lien	
4.	डॉ.अखिलेश कुमार(सहायक आचार्य) On Lien	

पाठ्यक्रम मान्यता सम्बंधित महत्वपूर्ण तथ्य

- वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा राज्य सरकार के अधिनियम 1987 नं.35—1987 के अन्तर्गत स्थापित है। इसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण राजस्थान प्रदेश है।
- यह विश्वविद्यालय यूजीसी के सेक्शन 12—बी के अन्तर्गत देश का एक मान्यता प्राप्त खुला विश्वविद्यालय है। (यू.जी.सी.पत्र संख्या एफ—5—11/87 सी.पी.पी. दिनांक 30 मार्च, 1989)
- यह विश्वविद्यालय भारतीय विश्वविद्यालय संघ (AIU) द्वारा भी मान्यता प्राप्त है। इसके अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किये जा रहे सभी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री आदि अन्य सभी विश्वविद्यालयों के समकक्ष स्वीकृत हैं। (EV/III(80)90/17630 दिनांक 28 फरवरी 1991)
- यह बी.एड. कार्यक्रम NCTE से स्थायी मान्यता प्राप्त है। मान्यता क्रमांक :F-3/RJ-22/B.Ed. (D.E) / 9145/2000 Dated: 21.8.2000 तथा यूजीसी से अपने पत्र क्रमांक F.No.6-7/2018(DEBIII) दिनांक 18.10.2018 द्वारा मान्यता को जारी रखा गया है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के परिपत्र F-I-52/2000(CPP-II) दिनांक 2 नवंबर, 2004 के अनुसार यू. जी. सी. अधिनियम, 1956 सेक्शन 22(I) के अनुसार यह विश्वविद्यालय सभी प्रकार के सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री देने के लिए अधिकृत है | यू. जी. सी. के अनुसार वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा मुक्त/ दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्रदान किये गए सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री परम्परागत विश्वविद्यालय के सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री के समकक्ष माने जायेंगे| मान्यता संबंधित आवश्यक सभी प्रपत्र www.vmou.ac.in पर उपलब्ध है।

बी.एड. पाठ्यक्रम के संचालन हेतु एनसी.टी.ई. द्वारा जारी मान्यता संबंधी पत्र

Northern Regional Committee
National Council for Teacher Education
(A Statutory Body of the Government of India)

TO BE PUBLISHED IN GAZETTE OF INDIA PART-III, SECTION IV

F-3/RJ-22/ B.Ed. (D.E.)/2000/9745

Dated: 21.8.2000

RECOGNITION ORDER

In exercise of the powers vested under Section 14 (3)(a) of the National Council for Teacher Education (NCTE) Act 1993, **the Northern Regional Committee grants recognition to Kota Open University, Rawatbhata Road, Rajasthan for B.Ed. Distance Education two years from the academic session 2000-2001 with an annual intake of 500 (Five Hundred) students** subject to fulfilling the following condition:

1. All such teachers already appointed who do not fulfill the NCTE norms shall acquire the qualification as per the norms within a period of two years of this order.
2. The institution shall ensure library, laboratories and other institutional infrastructure as per NCTE norms.
3. The admission to the approved courses shall be given only to those candidates, who are eligible as per the regulation governing the course and in the manner laid down by the affiliating university/ State Government.
4. Tuition fees and other fees shall be charged from the students as per the norms of the affiliating university/ State Government till such time NCTE regulation in respect of fee structure come into force.
5. Curriculum transaction, including practical work/ activities should be organized as per the norms and standards for the course and the requirement of the affiliating university/ examining body.
6. Teaching days including practice teaching should not be less than the number fixed in the NCTE norms for the course.
7. The institution, if unaided shall maintain endowment and reserve fund as per NCTE norms.
8. The institution shall continue to fulfill the norms laid down under the regulation of the NCTE and submit the Regional committee the Annual report and the Performance Appraisal Report at the end of each academic year. The Performance Appraisal should inter alia give the extent of compliance of the condition indicated at 1 to 7 above.

If Kota Open University, Rawatbhata Road, Kota Rajasthan contravenes the provision of the NCTE Act or the rules, regulation and orders made or issued there under or fails to fulfill the above conditions, the Regional Committee may withdraw this recognition under the provision of Section 17(l) of the NCTE Act.

By order,
Sd.
Regional Director

The Manager
Govt. of India
Department of Publications, (Gazette Section)
Civil Lines, Delhi-110054

Copy to:

1. Secretary, Department of Secondary Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Govt. of India, Shastri Bhawan, New Delhi.
2. Education Secretary, Higher Education, Govt of Rajasthan, Jaipur
3. Education Secretary, Secondary Education, Govt of Rajasthan, Secretariat, Jaipur
4. Registrar, Kota Open University, Rawatbhata Road, Kota, Rajasthan
5. Director, Distance Education Council (IGNOU), 76, Hauz Khas, New Delhi-110016
6. The Member Secretary, National Council for Teacher Education, New Delhi- 110016
7. The Head, Department of Education, Kota Open University, Rawatbhata Road, Kota, Rajasthan
8. Computer Cell (NRC)

Sd.
Regional Director

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय : एक परिचय

मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के व्यापक दर्शन की पृष्ठभूमि पर वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1987 में राजस्थान राज्य सरकार शासन अधिनियम संख्या 35 - 1987 द्वारा इस उद्देश्य से की गयी कि तमाम ज्ञान और कला-कौशल की 'स्वयं सीख पाने' की विविध विधाओं द्वारा सक्षमता लोगों तक पहुँचायी जा सके। आरम्भ में इस विश्वविद्यालय को कोटा खुला विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया गया था। 21 सितम्बर, 2002 से इसका नाम बदलकर वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय किया गया। विश्वविद्यालय अपने अनेक नूतन, समसामयिक एवं उपयोगी शैक्षणिक कार्यक्रमों को सम्प्रेषण के नवीनतम प्रयोगों तथा सम्पर्क सत्रों द्वारा अधिक सुदृढ़ बनाता रहा है। विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य इस राज्य के त्वरित विकास एवं उन्नयन हेतु प्रशिक्षित एवं विभिन्न कौशलों में दक्ष उपयोगी मानव संसाधनों का विकास करना है। इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य रहा है कि शिक्षा की गुणवत्ता से कभी भी किसी भी स्तर पर कोई समझौता न किया जाय। व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा में तीव्रता से हो रहे बदलाव को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय ने अपने पाठ्यक्रमों को इस प्रकार पुनर्गठित किया है कि रोजगार एवं स्व-रोजगार के नित नये द्वार खुल सकें। विश्वविद्यालय मुख्य रूप से स्त्रियों, जनजातियों तथा मुख्य धारा से अलग वर्गों के शैक्षिक उन्नयन हेतु कटिबद्ध है। विश्वविद्यालय के निरन्तर होते विस्तार से इसकी पहुँच आज इस राज्य के सुदूरवर्ती एवं दुर्गम स्थलों तक जा पहुँची है। विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं संगठनों से सहमति अनुबन्ध पत्र (एम0ओ0यू0) हस्ताक्षरित करके व्यवस्था की गयी है कि तमाम ज्ञान और संसाधनों का जनहित में मिलजुल कर उपयोग किया जा सके। विश्वविद्यालय का मूल चिन्तन है कि विकास के सभी महत्वपूर्ण कारकों को गुणकारी उच्च शिक्षा द्वारा प्रतिष्ठित कर राज्य ही नहीं देश की सेवा में लाया जा सके। विश्वविद्यालय ने 7 क्षेत्रीय केन्द्र अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर में स्थापित किये गए हैं, जहाँ से सम्बद्ध लगभग 108 अध्ययन केन्द्रों द्वारा पाठ्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। जिसमें बी.एड. पाठ्यक्रम हेतु 10 अध्ययन केन्द्र कार्यरत हैं।

शिक्षा विद्यापीठ :

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के सतत शिक्षा विद्यापीठ के अंतर्गत शिक्षा विभाग को क्रमोन्नत कर वर्ष 2014 में विश्वविद्यालय के पांचवें विद्यापीठ के रूप में 'शिक्षा विद्यापीठ (School of Education)' को वैधानिक स्वीकृति मिली। शिक्षा विद्यापीठ, विश्वविद्यालय की स्थापना से ही विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से व्यक्ति, समाज, राष्ट्र एवं प्रकृति के संपोषणीय विकास व एक नागरिक तथा ज्ञान समाज के निर्माण हेतु व अधिकाधिक शिक्षकों व शिक्षक प्रशिक्षकों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु सदैव प्रयत्न करता रहा है। शिक्षा विद्यापीठ ने अपने उपयोगी पाठ्यक्रमों में पौर्वात्य एवं पाश्चात्य शिक्षक शिक्षा सम्बन्धी ज्ञान की परंपरा का कुशल समायोजन किया है। शिक्षा विद्यापीठ के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यक्रमों को संचालित किया जा रहा है:-

1. शिक्षा में विद्या वारिधि (पीएच.डी.)
2. मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर
3. स्नातक शिक्षा (बी.एड.)
4. स्नातक [कला (शिक्षा एक विषय के रूप में)]
5. स्नातक [कला (मनोविज्ञान एक विषय के रूप में)]
6. स्नातक [कला एडीशनल (शिक्षा)]
7. स्नातक [कला एडीशनल(मनोविज्ञान)]

प्रमुख अनुदेशन सेवाएँ:

१. मुद्रित अनुदेशन सामग्री, २. परामर्श सत्र, ३. विशेष परामर्श सत्र, ४. प्रायोगिक सत्र, ५. वेब रेडियो, ६. ऑनलाइन वीडियो लेक्चर, ७. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवा, ८. ईमेल संवाद सेवा, ९. दूरभाष सेवा, १०. मूडल आधारित अनुदेशन, ११. ग्रंथालय, १२. ई-लाइब्रेरी

नोट: शिक्षा में स्नातक (बी.एड.) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु तैयार की गयी यह कार्यक्रम विवरणिका अति संक्षिप्त है। इस विवरणिका में केवल बी.एड. कार्यक्रम में प्रवेश से सम्बंधित विशिष्ट तथ्यों का ही विवरण है। विश्वविद्यालय द्वारा जारी की जाने

वाली मूल विवरणिका (जो ऑनलाइन उपलब्ध है) में सभी पाठ्यक्रमों से सम्बंधित सामान्य नियमों (प्रवेश से लेकर परीक्षा तक) का वर्णन है जो इस पाठ्यक्रम में पंजीकृत विद्यार्थियों पर भी लागू होगा।

बी.एड. पाठ्यक्रम से संबंधित आवश्यक जानकारी

योग्यता : ऐसे सेवारत प्राइमरी शिक्षक जो निम्नलिखित तीनों योग्यताएं एक साथ रखते हों:-

1. किसी राजकीय/गैर राजकीय (मान्यता प्राप्त) विद्यालय में वर्तमान में प्राइमरी कक्षाओं (कक्षा 1 से 5 अथवा कक्षा 1 से 8) को पढ़ाने वाले अध्यापक हों।
2. जिन्होंने नियमित रीति से बी.एस.टी.सी. (B.S.T.C.)/ डी.एल.एड. (D.El.Ed.) इत्यादि समकक्ष* द्विवर्षीय प्राइमरी अध्यापक शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम जो एन.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त है उत्तीर्ण किया हुआ हो।
3. स्नातक/स्नातकोत्तर (कला/विज्ञान/वाणिज्य) परीक्षा सामान्य वर्ग न्यूनतम 50 प्रतिशत, बी.टेक स्नातक (विज्ञान गणित विशेषज्ञता के साथ) सामान्य वर्ग न्यूनतम 55 प्रतिशत से उत्तीर्ण हों।

राजस्थान के अनुसूचित जाति /जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (नान क्रीमीलेयर), अति पिछड़ा वर्ग (नान क्रीमीलेयर), द्विव्यांग तथा विधवा एवं तलाकशुद्धा महिला अभ्यर्थियों को उक्त स्नातक /स्नातकोत्तर अर्हता प्रतिशत में 5 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।

नोट -

1. *यहां समकक्ष से तात्पर्य शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम 2 वर्ष की पूर्ण अवधिका नियमित रीति से किया हुआ होना चाहिए तथा एनसीटीई से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। इससे कम अवधि के किए हुए पाठ्यक्रम के आधार पर किसी राज्य सरकार ने प्रार्थी को तृतीय श्रेणी अध्यापक की नियुक्ति दे दी हो तो भी यह दावा नहीं किया जा सकता कि वह शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम 2 वर्षीय बी.एस.टी.सी. (B.S.T.C.)/ डी.एल.एड. (D.El.Ed.) के समकक्ष है। प्रार्थी स्वयं उस पाठ्यक्रम की अवधि तथा बी.एस.टी.सी. (B.S.T.C.)/ डी.एल.एड. (D.El.Ed.) का एनसीटीई से मान्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही प्रवेश परीक्षा फार्म भरे तथा चयन होने पर काउन्सिलिंग के समय उसे प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी प्रार्थी ने डिप्लोमा (विशिष्ट शिक्षा) दो वर्षीय करके राज्य सरकार में तृतीय श्रेणी अध्यापक के रूप में नियुक्ति प्राप्त कर ली हो लेकिन NCTE ने इसे मान्यता प्रदान की है या नहीं इस आशय का प्रमाण पत्र प्रार्थी को प्राप्त कर ही फार्म भरना चाहिए तथा काउन्सिलिंग के समय इसे प्रस्तुत करना होगा।
2. यदि किसी अभ्यर्थी के (B.S.T.C.)/ डी.एल.एड. (D.El.Ed.) की अंकतालिका/प्रमाण पत्र परीक्षा सत्र और परिणाम घोषणा की तिथि में 2-3 माह से ज्यादा का अन्तर हो तो प्रार्थी इस बात का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे कि उसके प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष का नियमित रीति से पूर्ण करने का शिक्षण सत्र क्या है? ऐसा विद्यार्थी अपनी संस्थान से जारी स्थानान्तरण प्रमाण पत्र अथवा चरित्र प्रमाण पत्र पर लिखवा कर प्राप्त करे। तभी प्रवेश आवेदन पत्र भरे। इस मूल प्रमाण पत्र को काउन्सिलिंग के समय प्रस्तुत करे।

नोट:- शिक्षण अनुभव में न्यूनतम दो वर्ष के अनुभव की बाध्यता नहीं है केवल वर्तमान में अध्यापक होना पर्याप्त है, लेकिन पूरी बी.एड. के दौरान भी वह अध्यापक रहना चाहिए। यदि कोई विद्यार्थी परिविक्षा काल/अस्थाई/प्रबोधक के दौरान आवेदन कर रहा है तो उसके नियोक्ता से स्वीकृति लेना उसकी स्वयं की जिम्मेदारी है। विभाग उसे इन्हीं शर्तों पर स्वीकृति देता है और बी0एड0 अवधि में नियत समय पर यदि कोई घटक पूर्ण नहीं कर पाता है तो विश्वविद्यालय इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। बी0एड0 के दोनों वर्षों के संभावित कलेण्डर में उल्लेखित तिथियों में किसी कारणवश परिवर्तन हो तो यह विद्यार्थियों को मान्य होगा।

नोट -

1. वही विद्यार्थी स्नातकोत्तर विषय का उल्लेख करे जिनका स्नातक में वांछित प्रतिशत (सामान्य वर्ग 50 प्रतिशत, आरक्षित वर्ग 45 प्रतिशत) नहीं है और स्नातकोत्तर में यह वांछित प्रतिशत है।
2. यदि किसी विद्यार्थी ने दो विषयों में स्नातकोत्तर कर रखा है तो उसी स्नातकोत्तर विषय का उल्लेख करें (जिससे संबंधित शिक्षण विषय बी.एड. में लेना है)।
3. जिन विद्यार्थियों को स्नातक एवं स्नातकोत्तर अंक तालिका में CGPA ग्रेड मिला है वे अपने विश्वविद्यालय से उस ग्रेड को प्रतिशत में बदलवा कर प्रेषित करें तथा इस आशय का प्रमाण पत्र काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत करें।

पाठ्यक्रम अवधि

: न्यूनतम 2 वर्ष, अधिकतम 5 वर्ष

पाठ्यक्रम शुल्क :

प्रथम वर्ष शुल्क: 26,880 रूपये अथवा राज्य सरकार द्वारा परिवर्तन राशि दोनों में से जो जो भी अधिक है | (प्रवेश वरीयता सूची में आने पर काउन्सलिंग के दौरान पात्र होने की स्थिति में मुख्यालय कोटा पर विश्वविद्यालय परिसर स्थित पंजाब नेशनल बैंक में बैंक चालान द्वारा जमा किया जाएगा।)

द्वितीय वर्ष शुल्क: 26,880 रूपये अथवा राज्य सरकार द्वारा परिवर्तित राशि दोनों में से जो भी अधिक हो।

प्रथम वर्ष की परीक्षा के उपरान्त द्वितीय वर्ष के जनवरी/फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में प्रमोटी ऑन लाइन फार्म भरते समय द्वितीय वर्ष का शुल्क लिया जायेगा शुल्क ई-मित्र/ नेट बैंकिंग द्वारा भरा जा सकेगा। चाहे प्रथम वर्ष का परीक्षा परिणाम आये या न आये। आपको द्वितीय वर्ष का प्रमोटी फार्म आवश्यक रूप से भरना है।

शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र :

यह पाठ्यक्रम प्राइमरी कक्षाओं (कक्षा 1 से 5 अथवा 1 से 8) को पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए है इसलिए इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश आवेदन पत्र भरते समय से ही शिक्षक होना आवश्यक है, जिसके सत्यापन हेतु अभ्यर्थी को प्रवेश काउन्सलिंग के समय शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र जमा करना होगा | अभ्यर्थी का शिक्षण अनुभव प्रवेश आवेदन फार्म भरने की अन्तिम तिथि अथवा उसके पूर्व से होना चाहिए अर्थात् आवेदक प्रवेश आवेदन करने से लेकर निरन्तर अध्यापक होना चाहिए। **शिक्षण अनुभव 2 वर्ष का होने की बाध्यता नहीं** है। शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र प्रवेश फार्म भरते समय बनवायें और वरीयता सूची में स्थान प्राप्त करने के समय काउन्सलिंग के समय उपस्थित होने पर उसे प्रस्तुत करें। अभ्यर्थी को शिक्षण अनुभव से सम्बंधित तथ्यों को आवेदन पत्र में ऑन-लाइन भरना होगा और साथ में संलग्न करना होगा। जिसे प्रवेश काउन्सलिंग के समय सत्यापित किया जाएगा | ध्यातव्य हो कि शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसे प्रवेश काउन्सलिंग के समय मूल दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करना होगा। आवेदकों को निर्देशित किया जाता है कि ऑन लाइन आवेदन पत्र भरते समय इसकी जाँच अवश्य कर लें। लापरवाही या भूलवश की गई कोई भी गलती स्वीकार नहीं की जायेगी। किसी भी मान्यता प्राप्त सरकारी/गैर सरकारी विद्यालय में अध्यापन अनुभव होना आवश्यक है। प्राइमरी अध्यापक के अलावा अन्य किसी भी पद पर कार्यरत रहते हुए अगर शैक्षणिक अनुभव है तो वह मान्य नहीं होगा साथ ही वर्तमान में विद्यालय में कार्यरत होना भी आवश्यक है।

शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र बनवाते समय निम्नलिखित बातों को अवश्य ध्यान में रखा जाये:

प्रवेश काउन्सलिंग के समय विवरणिका में जिस प्रकार का प्रारूप दिया गया है उसी प्रारूप में शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। अन्य किसी भी प्रकार के प्रारूप को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

1. शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र में दिए गए स्थानों पर सही जानकारी साफ सुथरी भरी या लिखी जानी आवश्यक है। किसी भी प्रकार की ओवरराईटिंग या काट छांट वाला प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।
2. शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र सभी प्रकार से पूर्ण होना चाहिए। वह संस्था प्रधान से सत्यापित (तिथि के साथ) एवं विद्यालय जावक क्रमांक एवं तिथि अंकित किया हुआ होना चाहिए। निजी मान्यता प्राप्त विद्यालय में कार्यरत अभ्यर्थी को उस विद्यालय की राब/केंद्र सरकार से मान्यता पंजीकरण संख्या मय दिनांक भरना आवश्यक है।
3. निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी (जिला शिक्षा अधिकारी /ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अथवा सक्षम अधिकारी) से प्रति हस्ताक्षरित होना आवश्यक है। तथा उस कार्यालय के जावक क्रमांक भी इंगित होना चाहिए।
4. शिक्षक जो स्वयं विद्यालय प्रधान हैं, वे अपने उच्च अधिकारी से शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र प्रति हस्ताक्षरित करवा कर प्रस्तुत करें।
5. वे अभ्यर्थी जो राजस्थान राज्य से बाहर किसी राज्य/केंद्र सरकार के किसी विद्यालय में कार्यरत हैं वे अपने शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र को संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी/सक्षम अधिकारी से प्रति हस्ताक्षर करवा कर मय जावक क्रमांक के प्रस्तुत करें तथा अपना नियुक्ति पत्र एवं इस आशय का अनापत्ति प्रमाण पत्र अपने नियोक्ता से बनवाकर लायेंगे कि यदि उनका इस विश्वविद्यालय की बी.एड.कार्यक्रम में प्रवेश हो जाता है तो वे अवकाश लेकर इण्टर्नशीप, प्रेक्टिस टिचिंग, फाइनल लेसन इत्यादि लगभग 6 माह के कार्य राजस्थान राज्य के विद्यालयों में करेंगे और उनके विद्यालय/विभाग को इस हेतु कोई आपत्ति नहीं होगी। यह अनापत्ति प्रमाण पत्र उन्हें काउन्सलिंग के समय प्रस्तुत करना होगा | द्वितीय वर्ष इंटरशीप कार्य को राजस्थान में करने हेतु अपने विभाग से 6 माह के अवकाश की स्वीकृति काउन्सलिंग के समय ही प्रस्तुत करनी होगी | प्रथम वर्ष के 144 घंटे का सत्र पर्यंत बटा हुआ प्रायोगिक कार्य भी

राजस्थान के स्कूलों में ही करना होगा | अतः इन्हें हिदायत दी जाती है की वे अपने विभाग/विद्यालय से पूर्ण रूप से अवकाश मिलने की स्थिति तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र के मिलने की स्थिति में ही बी.एड. प्रवेश फार्म भरे। उपरोक्त सभी के अभाव में काउंसलिंग के समय उन्हें प्रवेश नहीं दिया जायेगा |

6. यदि किसी अभ्यर्थी अथवा रक्षाकर्मी ने राजस्थान राज्य से बाहर का शिक्षण प्रमाण पत्र (BSTC/D.El.Ed.) नाम के अलावा नाम से कर रखा है तो वह उस संस्थान से इस पाठ्यक्रम की अवधि 2 वर्ष होना, पाठ्यक्रम नियमित रीति से होना तथा NCTE से मान्यता प्राप्त होना तीनों का उल्लेख किया हुआ प्रमाण जारी करवा कर प्रस्तुत करो। इसे प्रवेश परीक्षा का फार्म भरने से पूर्व ही जारी करवा लें अन्यथा काउंसलिंग के समय वे बी.एड. (दूरस्थ शिक्षा) हेतु पात्र नहीं होंगे।
7. राजस्थान राज्य के बाहर के विद्यालयों में अध्यापन कर रहे यदि किसी अभ्यर्थी का चयन हो जाता है तो उसको काउंसलिंग के समय इस आशय का शपथ पत्र 100 रुपये के स्टाम्प पर नोटरी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा (प्रारूप संलग्न) कि वह इस बी.एड. कार्यक्रम के सभी घटक यथा 6 माह का इंटर्नशिप कार्यक्रम मय प्रेक्टिस टीचिंग दोनों वर्ष 6 - 6 दिवस के सम्पर्क शिविर, प्रोजेक्ट कार्य, आन्तरिक मूल्यांकन कार्य, राजस्थान के विद्यालयों में ही करेगा। इस हेतु उसे राजस्थान स्थित किसी राजकीय विद्यालय का स्वीकृति पत्र काउंसलिंग के समय साथ में लाना होगा जिसमें यह लिखा होना चाहिये की वह 6 माह की इंटर्नशिप के अंतर्गत आने वाली प्रेक्टिस टीचिंग तथा अन्य घटक पूर्ण करा लेंगे। चूंकि विश्वविद्यालय का कार्यक्षेत्र राजस्थान राज्य ही है अतः उसे विश्वविद्यालय के 7 क्षेत्रीय केन्द्रों में से किसी एक एवं उसके अन्तर्गत आने वाले किसी एक अध्ययन केन्द्र का चयन करना होगा एवं उसी क्षेत्र के विद्यालय से स्वीकृति लेनी होगी। और उसी क्षेत्र का परीक्षा केन्द्र का चयन कर सैद्धान्तिक परीक्षा देनी होगी। लेकिन क्षेत्रीय केन्द्र/अध्ययन केन्द्र रिक्त रही सीट के अनुसार काउंसलिंग के दौरान बदला भी जा सकता है।

प्रवेश आरक्षण नीति:

1. आरक्षण नियमों का पालन राजस्थान राज्य के शैक्षणिक संस्थानों के आरक्षण नियमों के आधार पर किया जाएगा।
2. बी.एड. प्रवेश में विद्यार्थियों का चयन वरीयता सूची के आधार पर किया जायेगा। विदित हो कि इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आरक्षण का लाभ केवल ऐसे आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थियों को मिलेगा जिनके पास राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र है तथा वे NCTE मानदण्डानुसार इस परीक्षा हेतु निर्धारित पात्रता एवं योग्यता रखते हों। बी.एड. कार्यक्रम की वरीयता सूची में स्थान प्राप्त किए विद्यार्थियों को राजस्थान राज्य के शैक्षणिक संस्थानों के आरक्षण नियमों के आधार पर आरक्षण देते हुए वरीयता सूची बनाई जाएगी।
3. कश्मीरी विस्थापितों के लिए नियमानुसार उपलब्ध सीटों में आरक्षित वर्ग की सीटों के अतिरिक्त एक सीट आरक्षित रहेगी। (कश्मीरी विस्थापितों के लिए भी एनसीटीई के द्वारा निर्धारित योग्यता की पालना सुनिश्चित करना आवश्यक है।)
4. जो अभ्यर्थी अनुसूचित जनजाति (अनुसूचित क्षेत्र) S.T. (SA) से आते हैं वे अपने निर्धारित आरक्षण प्रमाण पत्र में इस आशय का उल्लेख अवश्य करवाये ताकि वह उनके लिए निर्धारित कोटे का आरक्षण लाभ ले सके और ऑन लाइन फॉर्म भरते समय उल्लेख अवश्य करें एवं आवेदन फार्म के साथ प्रमाण पत्र संलग्न करें।
5. सेवारत/ सेवामुक्त/ सेवानिवृत्त रक्षाकर्मी के लिए राजस्थान सरकार के नियमानुसार आरक्षण देय होगा। बशर्ते वे NCTE मानदण्डानुसार कार्यक्रम हेतु निर्धारित पात्रता एवं योग्यता रखते हों। इस हेतु उन्हें रक्षाकर्मी/यूनिट मेजर /सचिव, सैनिक बोर्ड द्वारा नियमानुसार जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उक्त प्रमाण पत्र के अभाव में इस श्रेणी के अन्तर्गत लाभ देय नहीं होगा।(प्रारूप संलग्न है)

आरक्षण का लाभ ले रहे विद्यार्थी प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र भरने से पहले निम्नलिखित निर्देशों की पालना सुनिश्चित कर लें:—

1. वह आवेदक जो एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी. (नान क्रीमीलेयर)/एस.बी.सी. अथवा एम.बी.सी. (नान क्रीमीलेयर) / एस.टी. - (अनुसूचित क्षेत्र), / EWS वर्गों से होंगे उन्हें जिला दण्ड अधिकारी/उपजिला जिलादण्ड अधिकारी/तहसीलदार के द्वारा अथवा उस प्रमाण पत्र के लिये निर्धारित सक्षम अधिकारी से मान्य प्रारूप में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो कि एक साल से अधिकपुराना नहीं होना चाहिए। उनका राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र होना भी आवश्यक है। यह प्रमाण पत्र .बी.एड. प्रवेश के काउंसिलिंग के समय तक मान्य होना चाहिए। विदित हो कि ओ.बी.सी. / एस.बी.सी. अथवा एम.बी.सी. (Non Creamy layer) का प्रमाण पत्र काउंसिलिंग के समय से एक वर्ष से पूर्व का नहीं होना चाहिए। यदि इससे पूर्व का है तो आवेदन करते समय ही OBC का प्रमाण पत्र बनवा लें। प्रवेश आवेदन पत्र भरते समय तथा काउंसिलिंग के समय प्रार्थी OBC (Non Creamy layer) में होना आवश्यक है।
2. तलाकशुदा महिला आवेदकों को न्यायालय द्वारा दी गई तलाक की प्रति सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित करके प्रस्तुत करना अनिवार्य होगी। विधवा आवेदकों को अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र सम्बन्धित पंचायत/नगर निगम/नगर पालिका से हस्ताक्षरित करके काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत करना होगा।
3. विधवा एवं परित्यक्ता संवर्ग की महिलाएं इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र संलग्न करें, जिसमें यह उल्लेख हो कि मैं अभी भी विधवा/परित्यक्ता हूँ मैंने पुनः विवाह नहीं किया है। विधवा संवर्ग के लिए पति के मृत्यु का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा एवं परित्यक्ता संवर्ग की महिलाएं न्यायालय से जारी डिक्री की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करें।
4. शारीरिक विकलांग आवेदकों को सम्बन्धित डी.एम.एच.ओ.के द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
 - जहाँ मेडिकल कॉलेज है वहाँ मेडिकल बोर्ड अथवा असमर्थता अंग संबंधी आंगिक विशेषज्ञ रिडर द्वारा हस्ताक्षरित या
 - जहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है वहाँ असमर्थता अंग संबंधी आंगिक कनिष्ठ विशेषज्ञ अथवा वहाँ के सी.एम.एच.ओ. द्वारा हस्ताक्षरित

बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी के स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री में विद्यालय शिक्षण विषय होना अनिवार्य है।

- (i) **शिक्षण विषय से अभिप्राय** है ऐसा विषय जो अभ्यर्थी ने स्नातक स्तर पर अथवा स्नातकोत्तर परीक्षा हेतु लिया हो यह विषय ऐच्छिक या सहायक विषय भी हो सकता है, बशर्ते अभ्यर्थी ने इस विषय में कम से कम दो वर्षों तक अध्ययन किया हो और विश्वविद्यालय ने प्रतिवर्ष इस विषय की परीक्षा ली हो। **शिक्षण विषय** में ऐसे विषय सम्मिलित नहीं होते जिनका अभ्यर्थी ने डिग्री पाठ्यक्रम के लिए आंशिक अध्ययन किया हो। अतः अर्हताकारी विषय सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी, सामान्य शिक्षा/भारतीय सभ्यता और संस्कृतिका इतिहास/प्रारंभिक गणित आदि जैसे विषय जो केवल प्रथम वर्ष में या द्वितीय वर्ष में निर्धारित किये गये हैं या फिर वह विषय जो प्रथम वर्ष में पढ़ कर द्वितीयादि वर्षों में छोड़ दिया गया हो - शिक्षण विषय के रूप में नहीं माना जायेगा। ऑनर्स स्नातक के लिए ऑनर्स के विषय के अलावा सहायक विषय को भी माना जायेगा बशर्ते अभ्यर्थी ने उस विषय को न्यूनतम दो शिक्षा सत्रों तक पढ़ा हो और प्रत्येक सत्र के अंत में उसकी परीक्षा दी हो। त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण की अंकतालिका में प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष के प्राप्तांक एवं द्विवर्षीय स्नातक उपाधि की स्थिति में द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष के प्राप्तांक अलग अलग दर्शित किये जाकर इनका संकलन होना आवश्यक है।
- (ii) जिन अभ्यर्थियों ने अपनी बी.ए. डिग्री इतिहास, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, अर्थशास्त्र, भूगोल, दर्शनशास्त्र मनोविज्ञान और समाजशास्त्र इन विषयों में से किन्हीं एक या दो विषयों को लेकर प्राप्त की है उन्हें बी.एड. परीक्षा हेतु सामाजिक ज्ञान (social studies) विषय लेने की अनुमति होगी।
- (iii) कृषि स्नातकों को बी.एड. परीक्षा के लिये विज्ञान और जीव विज्ञान (Biology) विषय लेने की अनुमति होगी। सामान्य विज्ञान विषय लेने की अनुमति उन अभ्यर्थियों के लिए भी रहेगी जिन्होंने अपनी बी.एस.सी. डिग्री होम साइन्स विषय लेकर अथवा बी.एस.सी. परीक्षा 1. रसायन विज्ञान (Chemistry) और जीवन विज्ञान (Life Science) का कोई विषय अर्थात् जीव विज्ञान (Biology) अथवा वनस्पति विज्ञान (Botany) अथवा जन्तु विज्ञान (Zoology) विषय लेकर उत्तीर्ण की हो।

- (iv) जिस अभ्यर्थी ने बी.ए. अथवा एम.ए. परीक्षा राजनीति विज्ञान अथवा लोक प्रशासन विषय लेकर उत्तीर्ण की है, वह बी.एड. परीक्षा हेतु शिक्षण विषय के रूप में नागरिक शास्त्र (Civics) विषय लेने का पात्र होगा।
- (v) जहां किसी अभ्यर्थी ने स्नातक परीक्षा के संकाय से भिन्न एक ही संकाय के दो विषयों में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण की हो और स्नातकोत्तर परीक्षा के दोनों विषय शाला शिक्षण विषय हो और अभ्यर्थी दोनों विषय अध्ययन विषय के रूप में चुनना चाहे तो उसे स्नातकोत्तर परीक्षा का विषय दिया जा सकता है।
- (vi) वाणिज्य स्नातक 'अर्थशास्त्र' विषय नहीं ले सकता है।
- (vii) अभ्यर्थी जिनके स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा में पढ़े हुए विषयों के आधार पर बी.एड. पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाने वाला कोई दो शिक्षण विषय (Practice Teaching subject) नियमानुसार नहीं बनते हैं वे टेस्ट में बैठने हेतु पात्र नहीं है। बी.बी.ए. /बी.सी.ए./बी.ई./बी.एस.सी. बायोटेक्नॉलोजी या अन्य कोई ऐसी स्नातक डिग्री उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिनके बी.एड. पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाने वाले विषय नहीं बनते हैं तो बी.एड. किये जाने के लिये पात्र नहीं है।

महत्वपूर्ण नोट:

- ✓ आवेदक प्रवेश विवरणिका में उल्लेखित सामान्य निर्देशों को भली भांति पढ़कर ही फार्म भरें। गलत सूचना देने पर किसी भी समय उसका प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
- ✓ आवेदन प्रवेश पत्र भरते समय आवेदक अपनी पात्रता, केटेगरी की जांच स्वयं कर लें।
- ✓ आवेदक के वरीयता सूची में स्थान प्राप्त करने के पश्चात विश्वविद्यालय के पास यह अधिकार है कि वह आवेदक की शैक्षणिक योग्यता एवं शैक्षिक अनुभव प्रमाण पत्र, केटेगरी इत्यादि के सन्दर्भ में किसी भी समय दोषी पाए जाने पर आवेदक का प्रवेश निरस्त किया जाएगा व फीस जब्त कर ली जाएगी।
- ✓ कार्यक्रम फीस मूल दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही जमा करें।
- ✓ एक बार फीस जमा हो जाने के बाद किसी भी परिस्थिति में वापिस नहीं की जाएगी।
- ✓ बी.एड. कार्यक्रम शुल्क बैंक चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय प्रांगण में स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में जमा किया जा सकेगा।

||आवश्यक सूचना||

इस प्रोग्राम में प्रवेश हेतु काउंसिलिंग में बुलाए गए सभी विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि इस कार्यक्रम विवरणिका के अंतिम भाग में प्रवेश व सत्रांत परीक्षा आवेदन पत्र जो संलग्नित हैं, को भरकर साथ लाएं ताकि यदि आप काउंसिलिंग में प्रवेश हेतु योग्य पाए जाते हैं तो प्रवेश व सत्रांत परीक्षा आवेदन पत्र को जमा करने में आपको यहाँ अनावश्यक समय नहीं देना होगा व जल्दीबाजी में कोई गलती होने की भी आशंका नहीं रहेगी। प्रवेश आवेदन पत्र के सभी रिक्तियों को सही-सही भरें तथा सभी वांछित प्रमाण पत्रों की अभिप्रमाणित छायाप्रतियों को संलग्नित कर लाएं। अपने प्रोग्राम, विषय, क्षेत्रीय केंद्र, परीक्षा केंद्र सहित सभी कोड को सावधानी पूर्वक सही-सही अवश्य भरें ताकि भविष्य में आपको इस प्रोग्राम की पूर्णता में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।

**बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश काउन्सलिंग के लिए
सामान्य निर्देश**

बी.एड. प्रवेश के लिए वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के सम्बंधित क्षेत्रीय केन्द्र(जो आपके द्वारा प्रवेश पत्र में Regional Centre/Exam Centre के स्थान पर लिखा गया है) में काउन्सलिंग आयोजित की जाएगी। बी.एड. प्रवेश मेरिट सूची में स्थान प्राप्त अनारक्षित व आरक्षित वर्गों के अनुरूप सभी विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के वेबसाइट/ एस.एम.एस. (SMS) द्वारा सूचित किया जाएगा। काउन्सलिंग हेतु जिस दिन आपको विश्वविद्यालय सम्बंधित क्षेत्रीय केन्द्र(जो आपके द्वारा प्रवेश पत्र में Regional Centre/Exam Centre के स्थान पर लिखा गया है) पर सूचित कर बुलाया जाए, उस दिन आपसे संबंधित सभी दस्तावेजों की मूल प्रतियां एवं सत्यापित छायाप्रति की एक प्रति एवं स्वयं के दो फोटो साथ लेकर आएं। सभी प्रमाण पत्रों की जांच काउन्सलिंग के समयपुनः की जाएगी। यदि किसी प्रकार की कोई कमी पायी गई तो विश्वविद्यालय तुरन्त प्रभाव से गलत सूचना देने के आरोपी मानते हुए आपका प्रवेश निरस्त कर सकता है।

काउन्सलिंग के समय आवेदक को निम्नांकित मूल दस्तावेज एवं एक सेट स्वयं द्वारा प्रमाणित फोटो कॉपी लाने होंगे:-

1. माध्यमिक या समकक्ष परीक्षा की अंकतालिका व प्रमाण पत्र (जन्म तिथि एवं नाम को जाँचने हेतु)
2. सीनियर सेकंडरी या समकक्ष परीक्षा की अंकतालिका व प्रमाण पत्र
3. बी.एस.टी.सी. (BSTC)/डी.एल.एड.(D.El.Ed.)/ इत्यादि समकक्ष द्विवर्षीय प्राइमरी अध्यापक शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम जो नियमित रीति से किया हो तथा एनसीटीई से मान्यता प्राप्त है उत्तीर्ण किया हुआ हो। **दोनों वर्षों की** अंकतालिका एवं प्रमाण पत्र जिसमें Regular लिखा हुआ हो। अन्यथा जिस संस्थान से आपने उक्त पाठ्यक्रम किया है वहां से Regular का प्रमाण पत्र लाये।
नोट - वे विद्यार्थी जिन्होंने राजस्थान राज्य के बाहर अथवा जम्मू एवं कश्मीर से नियमित रूप से बी.एस.टी.सी./डी.एल.एड. या समकक्ष द्विवर्षीय प्राइमरी शिक्षण प्रशिक्षण प्रमाण पत्र जो एनसीटीई से मान्यता प्राप्त हो पूर्ण किया है ऐसे अभ्यर्थी अपना राज्य सरकार में नियुक्ति पत्र एवं ज्वाइनिंग पत्रभी काउन्सलिंग के समय साथ में लेकर आएं। और यदि वे गैर सरकारी विद्यालयों में कार्यरत हों तो बी.एस.टी.सी./डी.एल.एड. जिस संस्थान से किया है उसका इस पाठ्यक्रम के लिये जारी NCTE का मान्यता प्रमाण पत्र साथ में लेकर आएं। यदि किसी अभ्यर्थी के (B.S.T.C.)/ डी.एल.एड. (D.El.Ed.) की अंकतालिका/प्रमाण पत्र परीक्षा सत्र और परिणाम घोषणा की तिथि में 2-3 माह से ज्यादा का अन्तर हो तो प्रार्थी इस बात का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे कि उसके प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष का नियमित रीति से पूर्ण करने का शिक्षण सत्र क्या है? ऐसा विद्यार्थी अपनी संस्थान से जारी स्थानान्तरण प्रमाण पत्र अथवा चरित्र प्रमाण पत्र पर लिखवा कर प्राप्त करें। तभी प्रवेश आवेदन पत्र भरे। इस मूल प्रमाण पत्र को काउन्सलिंग के समय प्रस्तुत करें।
4. बी.ए/बी.कॉम/बी.एस सी (BA/BCom/B.Sc.) **तीनो वर्षों की** / बी.टेक (B.Tech) **चारो वर्षों की** अंकतालिका व प्रमाण पत्र
5. एम.ए/एम.कॉम/एम. एस सी (MA/MCom/M.Sc) **दोनों वर्षों की** अंकतालिका व प्रमाण पत्र
नोट : यदि किसी अभ्यर्थी ने अपने स्नातक अथवा स्नातकोत्तर की डिग्री दूरस्थ शिक्षा माध्यम से किसी ऐसे राजकीय/गैर राजकीय/डीम्ड विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है जो खुला विश्वविद्यालय नहीं है। जबकि ऐसे विश्वविद्यालयों को नियमित रीति से अथवा स्वयं पाठी विद्यार्थियों को अध्ययन कराके डिग्री प्रदान करने की यूजीसी से मान्यता है। ऐसी स्थिति में विद्यार्थी अपनी अंकतालिका एवं डिग्री के साथ उक्त विश्वविद्यालय को Dual Mode से (नियमित के साथ दूरस्थ शिक्षा पद्धति) मान्यता किस वर्ष से किस वर्ष तक की है, इसका प्रमाण काउन्सलिंग के समय प्रस्तुत करें। अन्यथा उक्त मान्यता के अभाव में विद्यार्थी को काउन्सलिंग के समय प्रवेश से रोका जा सकता है।
6. निर्धारित प्रारूप में शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र।
7. निर्धारित प्रारूप में घोषणा पत्र।
8. एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी. (Non Creamy layer)/एस.बी.सी. अथवा एम.बी.सी (Non Creamy layer) / एस.टी. (अनुसूचित क्षेत्र), विधवा/ परित्यक्ता/शारीरिक रूप से विकलांग/ सेनिक /आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) सम्बंधित प्रमाण पत्र।

9. यदि काउन्सलिंग में आप द्वारा प्रस्तुत किया गये सभी दस्तावेज सत्य व वैध पाया गये तो पाठ्यक्रम शुल्क के रूप में आपको रु. 26,880 (प्रथम वर्ष शुल्क) बैंक चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय प्रांगण में स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में उसी दिन जमा कराना होगा।
10. राजस्थान राज्य से बाहर के स्थानों पर सेवारत अध्यापकों के लिए 100/— रूपये के स्टाम्प पर नोटरी युक्त शपथ पत्र। (प्रारूप संलग्न)
11. रक्षा कर्मी के लिए प्रमाण पत्र (प्रारूप संलग्न)
12. राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र (आरक्षित वर्ग के लिए आवश्यक)

अन्य सामान्य निर्देश

1. आवेदकों की शैक्षणिक योग्यता व शिक्षण अनुभव का निर्धारण संवैधानिक निकाय एन.सी.टी.ई. ,नई दिल्ली द्वारा किया जाता है जो कि समय-समय पर बदली जा सकती है। जो सभी के लिए बाध्यकारी है विश्वविद्यालय की इस स्तर पर कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। राजकीय विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों को उनके उच्चाधिकारी किसी भी कारण से इस पाठ्यक्रम को करने की अनुमति नहीं देते हैं तो इस हेतु विश्वविद्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
2. विश्वविद्यालय को यह अधिकार है कि गलत प्रमाण पत्र पाए जाने की स्थिति में वह किसी भी अभ्यर्थी का किसी भी समय प्रवेश निरस्त कर सकता है।
3. अभ्यर्थी ने जो जानकारी बी.एड प्रवेश आवेदन फार्म में भरी होगी वही अंतिमरूप से वरीयता सूची जारी करने हेतु मान्य होगी। अतः अभ्यर्थी आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी व योग्यता तथा अन्य सभी भरी हुई जानकारी के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। श्रेणी, योग्यता, अनुभव इत्यादि सभी प्रकार के मूल प्रमाण पत्रों की जाँच काउन्सलिंग के दौरान की जायेगी। उस दौरान कोई कमी पायी गयी तो अभ्यर्थी को अयोग्य ठहरा कर प्रवेश नहीं दिया जायेगा तथा किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लौटाया जायेगा।

विद्यार्थी के क्षेत्रीय केन्द्र एवं अध्ययन केन्द्र का आवंटन

अभ्यर्थी के अध्ययन केन्द्र का निर्धारण बी.एड. प्रवेश परीक्षा की काउंसलिंग तिथि की प्रथम उपस्थितिके आधार पर किया जाएगा। विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र निम्नलिखित स्थानों पर हैं।

- | | | |
|-----------|------------|-----------|
| 1. अजमेर | 2. बीकानेर | 3. जयपुर |
| 4. जोधपुर | 5. कोटा | 6. उदयपुर |
| | | 7. भरतपुर |

प्रवेश आवेदन पत्र में आवेदक को अपनी प्राथमिकता के आधार पर उन्हें 1,2,3,4,5,6,7 अंकों से चिन्हित करना होगा। NCTE मानदण्डानुसार प्रति अध्ययन केन्द्र 50 सीट निर्धारित है।

विश्वविद्यालय के पास अधिकार सुरक्षित है कि वह किसी भी अभ्यर्थी को कोई भी अध्ययन केन्द्र दे सकता है। अतः विद्यार्थियों की सीटों का आवंटन विभिन्न क्षेत्रीय केन्द्रों में सीटों की उपलब्धि के अनुरूप काउंसलिंग तिथि की प्रथम उपस्थितिके आधार पर किया जाएगा। आप द्वारा मांगा गया क्षेत्रीय केन्द्र एवं अध्ययन केन्द्र आपका अधिकार नहीं है। यह विश्वविद्यालय द्वारा आपको प्रदान की गई सुविधा है। अतः इसमें परिवर्तन का एकाधिकार विश्वविद्यालयके पास सुरक्षित है। यद्यपि आप द्वारा अंकित प्राथमिकता के आधार पर अध्ययन/क्षेत्रीय केन्द्र आवंटित करने का विश्वविद्यालय प्रयत्न करेगा। यदि ऐसा संभव न हुआ तो विश्वविद्यालयको केन्द्र आवंटन का अधिकार होगा, वह अंतिम निर्णय होगा।

क्षेत्रीय केन्द्र एवं अध्ययन केन्द्र

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालयके राजस्थान के सात क्षेत्रीय केन्द्र हैं जिनके अंतर्गत वर्तमान में बी0एड0 पाठ्यक्रम के संचालन हेतु दस अध्ययन केन्द्र हैं। अध्ययन केन्द्रों की सूची निम्नवत है:-

क्र.सं.	क्षेत्रीय केन्द्र	क्षेत्रीय केन्द्र कोड	बी.एड.अध्ययन केन्द्र	अध्ययन केन्द्र कोड
1	अजमेर	1	हरिभाऊ उपाध्याय महिला शिक्षक महाविद्यालय शिक्षण संस्थान हटूडी, अजमेर	1040
2	बीकानेर	2	राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, बीकानेर	2024

3	जयपुर	3	एस.एस.जी.पारीक कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जयपुर	3096
4	जयपुर	3	एस.एस. जैन सुबोध महिला टी.टी. कॉलेज, जयपुर	3097
5	जयपुर	3	ईश्वरम्मा शिक्षक प्रशिक्षण महिला महाविद्यालय सेक्टर 2 जवाहार नगर जयपुर 302004	3145
6	जोधपुर	4	श्री महालक्ष्मी महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय ई सेक्टर, प्रताप नगर, जोधपुर — 342001	4062
7	जोधपुर	4	श्री आर.एन.मेमोरियल महिला टी.टी. कॉलेज, जोधपुर	4034
8	कोटा	5	जवाहर लाल नेहरू पी.जी.टी.टी.कॉलेज, कोटा	5046
9	उदयपुर	6	राजस्थान महिला टी.टी. कॉलेज, उदयपुर	6054
10	भरतपुर	7	महाराजा सूरजमल टी.टी. कॉलेज, भरतपुर	7003

परीक्षा केन्द्रों की सची:

(प्रत्येक वर्ष के अन्त में होने वाली सत्रांत परीक्षा के लिए)

Regional Centre	City
Ajmer	Ajmer, Bhilwara, Niwai, Beawer, Tonk, Nagaur, Didwana, Kekri, Kishangarh, Kuchaman City, Deoli
Bikaner	Bikaner, Anupgarh, Nohar, Sriganganagar, Hanumangarh, Churu, Sardarshar
Jaipur	Jaipur, Alwar, Dausa, Rajgarh (Alwar District), Jhunjhunu, Sikar, Alwar, Neem Ka Thana, Kotputli, Chomu, DataRamgarh
Jodhpur	Jodhpur, Barmer, Pali, Falna, Jaiselmer, Jalor, Balotra, Sirohi, Bhinmal, BhopalGardh, Bilara, Piparcity, Osian, Phalodi, Baytu, Dhorimanna, Jaitarn, Sojatcity
Kota	Kota, Bundi, Baran, Jhalawar
Udaipur	Udaipur, Dungarpur, Banswara, Nathdwara, Pratapgarh, Chittorgarh, Salumber, Abu Road
Bhartpur	Bhartpur, Sawai Madhopur, Karuli, Dholpur

अपरिहार्य सूचनाएँ:

हमने आपको इस पाठ्यक्रम में आप द्वारा किये जाने वाली कार्यों की पूर्ण जानकारी प्राप्त करा दी है। कुछ प्रमुख बातों को फिर से देख लें।

1. विश्वविद्यालय आप से अपेक्षा करती है कि आप अपना समस्त पत्राचार ई-मेल के माध्यम से करें। आप अपना सही ई-मेल तथा मोबाईल संख्या को प्रवेश आवेदन पत्र में अवश्य भरें ताकि विभाग शैक्षिक व परीक्षा की गतिविधियों से आपको सही समय पर सूचना प्रदान कर सके। आप अपनी समस्या को ई-मेल (soe@vmou.ac.in) के माध्यम से ही विभाग के समक्ष रखें ताकि आपके समस्या का समाधान तीव्रतापूर्वक समय पर किया जा सके।
2. आपसे यह भी आग्रह है कि आप विश्वविद्यालय के वेबसाइट (www.vmou.ac.in) का अवलोकन नियमित रूप से करते रहें ताकि पाठ्यक्रम संबंधी आवश्यक सूचना प्राप्त करने हेतु आपको किसी भी दूसरे सूचना स्रोत पर आश्रित न रहना पड़े।
3. मुख्यालय कोटा पर काउन्सिलिंग होने के पश्चात् आपका सम्पूर्ण प्रवेश आवेदन पत्र मय दस्तावेज संबंधित क्षेत्रीय केन्द्र पर भेज दिया जाता है। अतः इस संबंध में किसी प्रकार की जानकारी लेनी हो/अतिरिक्त दस्तावेज जमा कराने हों/किसी प्रकार का संशोधन कराना हो तो आपको आवंटित क्षेत्रीय केन्द्र पर संपर्क करें।

4. वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय इस विवरणिका में बनाए गए नियमों को यथोचित ढंग से बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ऐसी स्थिति में आपको यथा-समय पूरक ई-परिपत्रों द्वारा ऐसे परिवर्तनों की सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर दे दी जाएगी। अतः समय समय पर विश्वविद्यालय की वेबसाइट देखते रहें।
5. आप द्वारा हल किए जाने वाले सत्रीय कार्य किसी भी रूप में नक़ल पर आधारित नहीं होने चाहिए। न ही किसी अन्य की फोटोकापी | नक़ल पर आधारित कार्यों को परीक्षक द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा। ऐसे सत्रीय कार्यों को पुनः जमा कराना होगा जिससे आपके परिणाम घोषित होने में एक सत्र की देरी हो जाएगी।
6. फीस जमा कराने का तरीका - पाठ्यक्रम में प्रवेश के उपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा ली जाने वाली किसी भी तरह का फीस केवल चालान के माध्यम से अथवा आन लाईन माध्यम ही स्वीकार किया जाएगा।
7. इस कार्यक्रम में प्रवेश के उपरान्त आप सभी पंजीकृत विद्यार्थियों को निर्देशित किया जाता है कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट से नियमित रूप से संपर्क में रहें क्योंकि विश्वविद्यालय इस कार्यक्रम संबंधी सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं केवल वेबसाइट के माध्यम से ही आपको प्रदान करता है। इस प्रोग्राम सम्बंधित यदि किसी भी सूचना से आप वंचित रह जाते हैं तो इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।
8. प्रति वर्ष होने वाले 6 दिवसीय संपर्क शिविर में आपकी उपस्थिति शत प्रतिशत अनिवार्य है अन्यथा आप सत्रांत परीक्षा से वंचित रह जायेंगे।
9. आप नियत समय पर कार्यक्रम के सभी अवयवों यथा - सत्रीय कार्य, प्रोजेक्ट कार्य, प्रायोगिक कार्य, संपर्क शिविर, इन्टर्नशिप इत्यादि को पूरा कर लें ताकि आपको कार्यक्रम की पूर्णता में किसी भी तरह का व्यवधान न हो।
10. आप विश्वविद्यालय के वेबसाइट से वीडियो लेक्चर, प्रश्न बैंक, सत्रीय कार्य के प्रश्न व अन्य ई- रिसोर्स का प्रयोग करना कतई ना भूलें।
11. विश्वविद्यालय बी.एड. कार्यक्रम के सभी घटक सैद्धान्तिक/प्रायोगिक निर्धारित समय पर पूर्ण कराता है। यदि कोई विद्यार्थी किसी कारण से कोई घटक समय पर पूर्ण नहीं कर पाता है तो उसे अगले सत्र में बकाया घटक को निर्धारित डिफाल्टर शुल्क जमा कर डिफाल्टर विद्यार्थी के रूप में पूर्ण कर सकता है। क्योंकि इस कार्यक्रम की न्यूनतम अवधि 2 वर्ष एवं अधिकतम अवधि 5 वर्ष है।
12. प्रथम वर्ष में प्रवेश के पश्चात् अगले सत्र में विद्यार्थी को द्वितीय वर्ष के प्रमोटी के रूप में प्रवेश मिलता है चाहे उसने प्रथम वर्ष की सैद्धान्तिक परीक्षा का एक भी प्रश्न पत्र नहीं दिया है अथवा अन्य कोई घटक पूर्ण नहीं किया हो। यहां प्रमोटी का अर्थ बिना परीक्षा दिये अगले वर्ष में प्रोन्नत करना नहीं है। उसे अपनी बकाया परीक्षा तथा बकाया घटक 5 वर्ष की अधिकतम अवधि में पूर्ण करने होंगे तभी बी.एड. की डिग्री जारी होगी।
13. आपकी सफलता आपके मनोयोग, तन्मयता, कठिन परिश्रम व आकांक्षा पर निर्भर करेगा। अतः आप इस प्रोग्राम को तन्मयता व कठिन परिश्रम के साथ पूर्ण करें और इस हेतु आपको विभाग व अध्ययन केंद्र के समस्त शिक्षकों के निरंतर मार्गदर्शन मिलता रहेगा।
14. पाठ्यक्रम संबंधी समस्या के निराकरण हेतु पहले अपने सम्बन्धित अध्ययन केंद्र एवं क्षेत्रीय केन्द्र पर सम्पर्क करें। यदि आपकी समस्या फिर भी हल नहीं हुई तो आप अपनी समस्या के निराकरण हेतु निम्न पते पर सम्पर्क करें-

क्र.सं.	समस्या	संपर्क सूत्र
प्रवेश, अध्ययन केंद्र, संपर्क शिविर, परामर्श कक्षाएं व अन्य शैक्षणिक समस्या		
1.	डॉ कीर्ति सिंह (सह आचार्य) निदेशक, शिक्षा विद्यापीठ	9414024810
2.	डॉ अनिल कुमार जैन(आचार्य) On Lien	
3.	डॉ.पतंजलि मिश्र (सहायक आचार्य) On Lien	
4.	डॉ.अखिलेश कुमार(सहायक आचा) On Lien	
पाठ्य सामग्री संबंधी समस्या		

5.	निदेशक, पाठ्यसामग्री उत्पादन एवं वितरण	9414036050, 0744-2797346
परीक्षा संबंधित समस्या		
6.	परीक्षा नियंत्रक	9414024853, 0744-2797314 0744-2797328, 0744-2797324
7.	सहायक कुलसचिव परीक्षा	9414024856

VMOU Help Line	0744-2797000
-----------------------	---------------------

क्षेत्रीय केन्द्रों का संपर्क सूत्र :

क्र.सं.	क्षेत्रीय केंद्र	क्षेत्रीय केंद्र का पता	निदेशक	ईमेल	सम्पर्क सूत्र
1.	अजमेर	निदेशक, क्षेत्रीय केंद्र व.म.खु.वि. सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय परिसर, नेहरू भवन के पास, ब्यावर रोड़, अजमेर 305001, राजस्थान	डॉ. अनुरोध गोधा निदेशक (I/C)	rcajm@vmou.ac.in	0145-2421409 0145-2622853
2.	बीकानेर	निदेशक, क्षेत्रीय केंद्र, व.म.खु.वि., 9/4-5, मुक्ता प्रसाद नगर, फुगल रोड सब्जी मंडी के सामने बीकानेर 334 001 राजस्थान	श्री बलवान सैनी सहायक कुलसचिव निदेशक (I/C)	rcbkr@vmou.ac.in	0151-2250768, 0151-2250758
3.	जयपुर	निदेशक, क्षेत्रीय केंद्र, व.म.खु.वि. , कॉमर्स कॉलेज के नजदीक, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004 राजस्थान	डॉ. अकबर अली निदेशक (I/C)	rcjpr@vmou.ac.in	/0141-2705965
4.	जोधपुर	निदेशक, क्षेत्रीय केंद्र, व.म.खु.वि. , 2/272-73, कुडीभक्तासनी आर.एच.बी. जोधपुर - 342005 राजस्थान	डॉ. रमन दवे निदेशक (I/C)	rcjdr@vmou.ac.in	0291-2730665
5.	कोटा	निदेशक, क्षेत्रीय केंद्र, व.म.खु.वि. व.म.खु.वि. परिसर, रावतभाटा रोड, कोटा 324021 राजस्थान	डॉ. दिलीप कुमार शर्मा	rckota@vmou.ac.in	09414024934 0744-2473517
6.	उदयपुर	निदेशक, क्षेत्रीय केंद्र, व.म.खु.वि. पुराणी आरटीओ बिल्डिंग सूरजपोल उदयपुर - 313001 राजस्थान	डॉ. रश्मि बोहरा	rcudr@vmou.ac.in	09414024836 0294-2417149
7.	भरतपुर	निदेशक, क्षेत्रीय केंद्र, व.म.खु.वि. कोठी पुष्प वाटिका सारस चौराहा के पास भरतपुर - 321001 राजस्थान	डॉ. जितेन्द्र कुमार शर्मा	rcbpr@vmou.ac.in	05644-234055 05644-234054

नोट: कार्यालय समय में ही (सुबह दस बजे से सायं पांच बजे के मध्य) दूरभाष पर संपर्क करें।

अध्ययन केन्द्रों का संपर्क सूत्र:

क्र सं.	क्षेत्रीय केंद्र	बी.एड.अध्ययन केंद्र	अध्ययन केंद्र कोड	मुख्य समन्वयक	समन्वयक	सम्पर्क सूत्र
1.	अजमेर	हरिभाऊ उपाध्याय महिला शिक्षक महाविद्यालय शिक्षण संस्थान, हट्टूडी, अजमेर-305012	1040	डॉ. रविकान्त यादव	डॉ0 उषा राठोड	0145-2796326, 9460177888 ctehatundi@gmail.com
2.	बीकानेर	राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, (IASE) करनी स्टेडियम के सामने बीकानेर - 334001	2024		डॉ सुधीर रूपानी	0151-2543953, 09001024365 sudhirrupani@gmail.com iasebkn@gmail.com
3.	जयपुर	एस.एस.जी.पारीक कॉलेज झोटवाड़ा रोड जयपुर - 302012	3096	डॉ प्रमिला दुबे	डॉ सुमित्रा आर्य	0141-2201300, ssgpareekpgcollege@yahoo.com
4.	जयपुर	एस.एस. जैन सुबोध महिला टी.टी. कॉलेज, बुधसिंह पुरा सांगानेर जयपुर - 302030	3097	डॉ यदु शर्मा	डॉ. रेनू अरोडा	0141-2791864, 9414773690 subodhtcollegejaipur@yahoo.com
5.	जयपुर	ईश्वरम्मा शिक्षक प्रशिक्षण महिला महाविद्यालय सेक्टर 2 जवाहार नगर जयपुर 302004	3145	डॉ. प्रतिभा पाराशर	डॉ. शीतल शर्मा	0141-2655178 eas_college_ofeducation@yahoo.com
6.	जोधपुर	श्री महालक्ष्मी महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय ई- सेक्टर प्रताप नगर, जोधपुर - 342001	4062	डॉ0 संध्या शुक्ला	डॉ अरुणा शर्मा	9660814464 mahalaxmirlsbed@gmail.com
7.	जोधपुर	श्री आर.एन.मेमोरियल महिला टी.टी. कॉलेज, सेक्टर-2, बासनी- प्रथम जोधपुर-342005	4034	डॉ अमिता स्वामी	डॉ नरेन्द्र सिंह भाटी	0291-2721293, 9352419570 srnmmtc@gmail.co.in dramitaswami@gmail.com
8.	कोटा	जवाहर लाल नेहरू पी.जी.टी.टी.कॉलेज, सकतपुरा, कोटा - 342008	5046	डॉ सुषमा सिंह	डॉ सपना जोशी	0744-2371418, 9929418517 info@jnss.org singhsleo@gmail.com
9.	उदयपुर	राजस्थान महिला टी.टी. कॉलेज, गुलाब बाग के पास उदयपुर - 313001	6054	डॉ प्रभा बाजपेयी	डॉ. तुनिशा वशिष्ठ शर्मा	0294-2523338, 9166177814 rmttc11@gmail.com
10.	भरतपुर	महाराजा सूरजमल टी टी कॉलेज, पक्का बाग के पास , भरतपुर (राज.) 321001	7003	डॉ अनिल श्रीवास्ताव	डॉ रश्मि श्रीवास्ताव	05644-231576, 09414877640 msttcollege_btp21@rediffmail.com Anil7640srivvastava@gmail.com

शिक्षा में स्नातक(बी.एड.) पाठ्यक्रम संरचना
Programme Structure of Bachelor of Education (B.Ed.)

BED I Year						
Course Code (कोर्स कोड)	Title of the Course (शीर्षक कोर्स)	Nature of Course	Total Credit (कुल क्रेडिट)	Marks		
				Full Marks	Weightage of Term End Examination	Weightage of Task/ Internal Assessment
BED 101	Childhood and Growing Up (बचपन एवं विकास)	(Theory) सैद्धान्तिक	6	100	70	30
BED 102	Contemporary India and Education (समकालीन भारत और शिक्षा)	(Theory) सैद्धान्तिक	6	100	70	30
BED 103	Language across the Curriculum (पाठ्यक्रम में भाषा)	(Theory) सैद्धान्तिक	3	50	35	15
BED 104	Understanding Disciplines and Subjects (अनुशासन एवं विषयों का अवबोध)	(Theory) सैद्धान्तिक	3	50	35	15
BED 105	Reading and Reflecting on Texts (EPC) (मूल पाठों का पठन एवं उनकी मीमांसा)	Project (प्रोजेक्ट)	3	50	-	50
BED 106	Learning and Teaching (अधिगम एवं शिक्षण)	(Theory) सैद्धान्तिक	6	100	70	30
BED 113	Assessment for Learning (अधिगम प्रक्रिया का आकलन)	(Theory) सैद्धान्तिक	6	100	70	30
BED 114	Drama and Art in Education (EPC)(शिक्षा में अभिनय एवं कला)	Project (प्रोजेक्ट)	3	50	-	50
(Select any one from BED - 107 to BED -112 & BED 131) कोई एक चयनित विषय BED - 107 to BED -112 & BED 131						
BED 107	Pedagogy of General Science (सामान्य विज्ञान का शिक्षण शास्त्र)	(Theory) सैद्धान्तिक	6	100	70	30
BED 108	Pedagogy of Mathematics (गणित का शिक्षण शास्त्र)	(Theory) सैद्धान्तिक	6	100	70	30
BED 109	Pedagogy of Social Science (सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र)	(Theory) सैद्धान्तिक	6	100	70	30
BED 110	Pedagogy of Hindi (हिन्दी का शिक्षण शास्त्र)	(Theory) सैद्धान्तिक	6	100	70	30
BED 111	Pedagogy of English (अंग्रेजी का शिक्षण शास्त्र)	(Theory) सैद्धान्तिक	6	100	70	30
BED 112	Pedagogy of Sanskrit (संस्कृत का शिक्षण शास्त्र)	(Theory) सैद्धान्तिक	6	100	70	30
BED 131	Pedagogy of Financial Accountancy (वित्तीय लेखांकन का शिक्षण शास्त्र)	(Theory) सैद्धान्तिक	6	100	70	30
प्रथम वर्ष में 1. सैद्धान्तिक प्रश्न पत्र - 7 2. प्रोजेक्ट कार्य - 2						
BED II Year						
BED 115	Knowledge and Curriculum	(Theory)	6	100	70	30

	(ज्ञान एवं पाठ्यक्रम)	सैद्धान्तिक				
BED116*	School Internship (विद्यालयीय प्रशिक्षण)	Practical (प्रायोगिक) एवं प्रोजेक्ट	12	250	70 ¼ k; ¼xd फाइनल लेसन)	कुल 180 अंक [120 अंक (इंटरनशीप के 10 क्रिया कलाओं की प्रोजेक्ट रिपोर्ट + 60 अंक प्रेक्टीस टीचिंग लेसन)]
BED 117	Gender, School and Society (जेंडर, विद्यालय एवं समाज)	(Theory) सैद्धान्तिक	3	50	35	15
BED 118	Creating an Inclusive School (समावेशित विद्यालय का निर्माण)	(Theory) सैद्धान्तिक	3	50	35	15
BED 133	Critical Understanding of ICT (EPC)(सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का समालोचनात्मक अवबोध)	Practical (प्रायोगिक)	3	50	-	50
BED 134	Understanding the Self (EPC) (अवबोध-स्व)	Project (प्रोजेक्ट)	3	50	-	50

(Select any one from BED - 119 to BED -132)

कोई एक चयनित विषय BED - 119 to BED -132 (जो आपके स्नातक/ स्नातकोत्तर में रहा हो उसी विषय का चयन करें)
यदि आपके स्नातक/स्नातकोत्तर में रहा विषय निम्नलिखित सूची में नहीं हो तो BED 119 से BED 122 में से कोई एक विषय का चयन करें।

BED 119	Vocational/Work Education (व्यावसायिक/ कार्य शिक्षा)	(Theory) सैद्धान्तिक	3	50	35	15
BED 120	Health and Physical Education (स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा)	(Theory) सैद्धान्तिक	3	50	35	15
BED 121	Peace Education (शान्ति शिक्षा)	(Theory) सैद्धान्तिक	3	50	35	15
BED 122	Guidance and Counseling (निर्देशन एवं परामर्श)	(Theory) सैद्धान्तिक	3	50	35	15
BED 123	Pedagogy of Physics (भौतिकी का शिक्षण शास्त्र)	(Theory) सैद्धान्तिक	3	50	35	15
BED 124	Pedagogy of Chemistry (रसायनशास्त्र का शिक्षण शास्त्र)	(Theory) सैद्धान्तिक	3	50	35	15
BED 125	Pedagogy of Biology (जीवविज्ञान का शिक्षण शास्त्र)	(Theory) सैद्धान्तिक	3	50	35	15
BED 126	Pedagogy of Geography (भूगोल का शिक्षण शास्त्र)	(Theory) सैद्धान्तिक	3	50	35	15
BED 127	Pedagogy of History (इतिहास का शिक्षण शास्त्र)	(Theory) सैद्धान्तिक	3	50	35	15
BED 128	Pedagogy of Civics (नागरिकशास्त्र का शिक्षण शास्त्र)	(Theory) सैद्धान्तिक	3	50	35	15
BED 129	Pedagogy of Economics (अर्थशास्त्र का शिक्षण शास्त्र)	(Theory) सैद्धान्तिक	3	50	35	15
BED 130	Pedagogy of Home Science (गृहविज्ञान का	(Theory)	3	50	35	15

	शिक्षण शास्त्र)	सैद्धान्तिक				
BED 132	Pedagogy of Business Organisation (व्यावसायिक संगठन का शिक्षण शास्त्र)	(Theory) सैद्धान्तिक	3	50	35	15

सैद्धान्तिक प्रश्न पत्र	:	4
प्रायोगिक (कम्प्यूटर प्रायोगिक)	:	1
प्रायोगिक (फाइनल लेसन)	:	1
प्रोजेक्ट	:	1
शिक्षण अभ्यास	:	प्रथम शिक्षण विषय पर 18 पाठ जो कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने हैं। (36 अंक) द्वितीय शिक्षण विषय पर 12 पाठ जो कक्षा 9 से 10 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने हैं। (24 अंक)

बी. एड. हेतु वैकल्पिक विषय

बी एड प्रथम वर्ष हेतु वैकल्पिक विषय: दिए गए किसी एक समूह में से अपने स्नातक के विषयों को ध्यान में रखते हुए कोई एक विषय चुनें:

Science with Bio (B.Sc.)	BED 107	Pedagogy of General Science सामान्य विज्ञान का शिक्षण शास्त्र
Mathematics (B.Sc./B.Tech) Science with Maths	BED 108	Pedagogy of Mathematics गणित का शिक्षण शास्त्र
Social Studies (B.A. Arts)	BED 109	Pedagogy of Social Science सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र
Languages B.A. with Language	BED 110	Pedagogy of Hindi हिन्दी का शिक्षण शास्त्र
	BED 111	Pedagogy of English अंग्रेजी का शिक्षण शास्त्र
	BED 112	Pedagogy of Sanskrit संस्कृत का शिक्षण शास्त्र
Commerce (B.Com)	BED 131	Pedagogy of Financial Accountancy (व्यावसायिक वित्तीय लेखांकन)

बी एड द्वितीय वर्ष हेतु वैकल्पिक विषय: अपने स्नातक/ स्नातकोत्तर के विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान, भाषा एवं कला तथा सामाजिक अध्ययन (जैसा भी लागू हो) के अनुसार कोई एक चुनें। ध्यान दें आपको सिर्फ एक वैकल्पिक विषय ही चुनना है | यदि BED 123 से BED 132 में आपका विषय उपलब्ध नहीं है तो आप BED 119 से 122 तक में किसी एक विषय का चयन करें। ऐसी स्थिति में आपको द्वितीय शिक्षण विषय के बारह पाठ आप द्वारा चयनित प्रथम शिक्षण विषय से ही कक्षा 9 से 12 में किसी एक कक्षा में पढ़ाने होंगे।

For Any Stream किसी भी विषय से संबंधित हो	BED 119	Vocational/Work Education व्यावसायिक/ कार्य शिक्षा
	BED 120	Health and Physical Education स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा
	BED 121	Peace Education

		शान्ति शिक्षा
	BED 122	Guidance and Counselling निर्देशन एवं परामर्श
Science विज्ञान	BED 123	Pedagogy of Physics भौतिकी का शिक्षण शास्त्र
	BED 124	Pedagogy of Chemistry रसायनशास्त्र का शिक्षण शास्त्र
	BED 125	Pedagogy of Biology जीवविज्ञान का शिक्षण शास्त्र
Language & Arts भाषा एवं कला	BED 126	Pedagogy of Geography भूगोल का शिक्षण शास्त्र
	BED 127	Pedagogy of History इतिहास का शिक्षण शास्त्र
	BED 128	Pedagogy of Civics नागरिकशास्त्र का शिक्षण शास्त्र
	BED 129	Pedagogy of Economics अर्थशास्त्र का शिक्षण शास्त्र
	BED 130	Pedagogy of Home Science गृहविज्ञान का शिक्षण शास्त्र
Commerce वाणिज्य	BED 132	(Pedagogy of Business Organization) (व्यावसायिक संगठन का शिक्षा शास्त्र)

संपर्क शिविर/कार्यशाला : चूँकि यह कार्यक्रम वार्षिक प्रणाली पर आधारित है, अतः NCTE के मानक के अनुसार बी.एड.पाठ्यक्रम में पंजीकृत अभ्यर्थी को बी.एड.पाठ्यक्रम के प्रत्येक वर्ष (कुल दो वर्ष) में छःदिन (कुल बारह दिन) के कार्यशाला में अपने आवंटित अध्ययन केंद्र पर अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा। NCTE मानदण्डानुसार इस कार्यशाला में शत-प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी अन्यथा आपको परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। इस शिविर में आपके सैद्धान्तिक प्रश्न-पत्रों के अध्यापन के साथ ही प्रायोगिक शिक्षण हेतु पाठ योजना निर्माण का अभ्यास भी कराया जाएगा। सम्पर्क शिविर स्थल तथा तिथि की सूचना आपको नियमानुसार विश्वविद्यालय के वेबसाइट /SMS के माध्यम से क्षेत्रीय केन्द्र/अध्ययन केन्द्र द्वारा दे दी जाएगी। प्रत्येक वर्ष एक बार कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा | प्रत्येक वर्ष कार्यशाला 16 मई से 30 मई (ग्रीष्मकालीन अवकाश) के मध्य आयोजित किये जायेंगे। यदि कोई अभ्यर्थी अपने निर्धारित कार्यशाला में अपनी शत-प्रतिशत उपस्थिति पूरा नहीं कर पाता है तो उसे डिफाल्टर शुल्क जमा कराकर , अगले वर्ष पूरी कार्यशाला पुनः करनी होगी |

सत्रीय कार्य: सत्रीय कार्य प्रत्येक सैद्धान्तिक विषय में होगा। प्रत्येक वर्ष के दौरान सत्रीय कार्य को पूर्ण करके सम्बंधित क्षेत्रीय केंद्र पर प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर तक जमा कराना होगा।

सत्रांत (मुख्य परीक्षा): चूँकि यह कार्यक्रम वार्षिक प्रणाली पर आधारित है अतः प्रत्येक वर्ष के अंत में परीक्षा ली जाएगी। इस प्रकार दो वर्षों में कुल दो परीक्षा करवाई जाएगी। विद्यार्थियों को दोनों परीक्षाओं में अलग-अलग (सत्रीय एवं सत्रांत) उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। किसी भी विषय में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 36% अंक सत्रीय एवं सत्रांत परीक्षा दोनों में अलग-अलग लाना अनिवार्य होगा, परन्तु सत्रीय एवं सत्रांत दोनों को मिलाकर 36% अंक लाने वाला अभ्यर्थी को ही उत्तीर्ण माना जाएगा।

उत्तीर्ण विद्यार्थियों को निम्नानुसार श्रेणी प्रदान की जायेगी -

I श्रेणी: 60 प्रतिशत एवं अधिक

II श्रेणी: 48 प्रतिशत एवं अधिक लेकिन 60 प्रतिशत से कम

उत्तीर्ण: 36 प्रतिशत एवं अधिक लेकिन 48 प्रतिशत से कम

**बी.एड. 2024 -25 का संभावित शैक्षणिक कलेण्डर
प्रथम वर्ष के लिए(जनवरी 2024 से दिसम्बर 2024)**

विवरण	संभावित माह एवं दिनांक
प्रथम वर्ष का सत्र प्रारम्भ	मार्च माह से
प्रथम वर्ष स्कोलर न. एवं क्षेत्रीय केंद्र निर्धारण	प्रथम वर्ष के मध्य मार्च से मध्य अप्रैल
प्रथम वर्ष संपर्क शिविर	16 मई से 21 मई तक (ग्रीष्मकालीन अवकाश)
प्रथम वर्ष के प्रोजेक्ट कार्य (बी.एड. -105 एवं बी.एड. 114)	विद्यालयों में प्रोजेक्ट कार्य संबंधित गतिविधि करने का समय जून माह के अंतिम सप्ताह से
प्रथम वर्ष प्रोजेक्ट कार्य (बी.एड.- 105 और बी.एड. 114) "परीक्षा नियंत्रक, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, रावतभाटा रोड, कोटा" पर जमा करने की तिथि नोट:- दोनों प्रोजेक्ट जिस विद्यालय में सम्पन्न किये जायें उस विद्यालय के शाला प्रधान से प्रोजेक्ट प्रतिहस्ताक्षरित अवश्य करावें (मयसील) इसके बिना परीक्षा विभाग द्वारा प्रोजेक्ट का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।	बी.एड.-105 एवं बी.एड.-114 की प्रोजेक्ट फाइल cloth envelop में सील पैक करके रजिस्टर्ड पार्सल से "परीक्षा नियंत्रक, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, रावतभाटा रोड, कोटा — 324010 को 1 नवंबर से 15 नवंबर तक भेजें। रजिस्टर्ड पार्सल की रसीद अवश्य संभाल कर रखें। लिफाफे पर "बी.एड.-105 एवं बी.एड.-114 की प्रोजेक्ट फाइल बाह्य मूल्यांकन हेतु" अवश्य लिखें।
प्रथम वर्ष के सैद्धान्तिक प्रश्न पत्रों के सत्रीय कार्य क्षेत्रीय केन्द्र पर जमा करने की तिथि	30 अक्टूबर से 15 नवंबर
प्रथम वर्ष वार्षिक परीक्षा	संभवतः दिसम्बर प्रथम सप्ताह से प्रारंभ
प्रथम वर्ष परीक्षा परिणाम (संभावित तिथि)	मध्य फरवरी

**बी.एड. का संभावित शैक्षणिक कलेण्डर
द्वितीय वर्ष के लिए प्रथम वर्ष के लिए(जनवरी 2025 से दिसम्बर 2025)**

द्वितीय वर्ष प्रमोटी फार्म भरने की तिथि नोट : प्रथम वर्ष परीक्षा का परीक्षा परिणाम आये बिना या प्रथम वर्ष की परीक्षा में बैठे बिना भी द्वितीय वर्ष का प्रमोटी प्रवेश फार्म ऑन लाईन भरा जा सकता है , एवं निर्धारित शुल्क भी ऑन लाईन जमा करानी है।	संभवतः जनवरी माह के द्वितीय सप्ताह से प्रारंभ जिन विद्यार्थियों ने द्वितीय वर्ष में प्रवेश नहीं लिया है, उन्हें द्वितीय वर्ष से संबंधित किसी भी गतिविधि में भाग नहीं लेने दिया जायेगा एवं गेप आने पर प्रवेश निरस्त हो जायेगा। नोट: यू.जी.सी. निर्देशानुसार 28 फरवरी से पूर्व प्रवेश लेना अनिवार्य है।
इन्टर्नशीप प्रोजेक्ट कार्य बी.एड.- 116 (120 अंक के विद्यालयी कार्य) एवं दोनों विषयों के शिक्षण अभ्यास कार्य (60 अंक)	अप्रैल प्रथम सप्ताह से सितम्बर माह के द्वितीय सप्ताह तक (विस्तृत विवरण संलग्न)
द्वितीय वर्ष संपर्क शिविर	23 मई से 28 मई (ग्रीष्मकालीन अवकाश)
द्वितीय वर्ष का प्रोजेक्ट कार्य (प्रश्न पत्र बी.एड.-134) विद्यालय में किया जाने वाला कार्य	जून अंतिम माह से
द्वितीय वर्ष प्रोजेक्ट कार्य (बी.एड.-116 का क्रम संख्या 1 से 10 का विद्यालयी कार्य एवं बी.एड.-134)"परीक्षा नियंत्रक, वर्धमान	बी.एड.-116 एवं बी.एड.-134 की प्रोजेक्ट फाइल cloth envelop में सील पैक करके रजिस्टर्ड पार्सल से "परीक्षा

महावीर खुला विश्वविद्यालय, रावतभाटा रोड, कोटा" पर जमा करने की तिथि नोट:- दोनों प्रोजेक्ट जिस विद्यालय में सम्पन्न किये जायें उस विद्यालय के शाला प्रधान से प्रोजेक्ट प्रतिहस्ताक्षरित अवश्य करावें (मयसील) इसके बिना परीक्षा विभाग द्वारा प्रोजेक्ट का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।	नियंत्रक, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, रावतभाटा रोड, कोटा — 324010 को 30 अक्टूबर से 15 नवंबर तक भेजें। रजिस्टर्ड पार्सल की रसीद अवश्य संभाल कर रखें। लिफाफे पर "बी.एड.— बी.एड.-116 एवं बी.एड.-134 की प्रोजेक्ट फाइल बाहय मूल्यांकन हेतु" अवश्य लिखें।
बी.एड.— 116 क्रम संख्या 11 एवं 12 के अन्तर्गत दोनों शिक्षण विषयों की टीचिंग प्रेक्टिस फाइल तथा उनके अंक (60 अंक) का सील बंद लिफाफा क्षेत्रीय केन्द्र पर जमा करने की तिथि (दोनों विषयों की प्रेक्टिस टीचिंग फाइल क्षेत्रीय केन्द्रों पर विद्यार्थी द्वारा फाइनल लेशन के पूर्व जमा की जाएगी।)	जनवरी अंतिम सप्ताह से फरवरी प्रथम सप्ताह शाला प्रधान निर्धारित प्रारूप में प्रेक्टिस टीचिंग के अंक सील बन्द लिफाफे में मय बिल तथा कवरींग लेटर मय जावक क्रमांक के साथ संबंधित क्षेत्रीय केन्द्र पर जहां विद्यार्थी पंजीकृत हैं, पर रजिस्टर्ड डाक/व्यक्तिशः पहुंचायें। इसकी एक प्रति विद्यालय में भी अवश्य रखें। जिन विद्यार्थियों के यह अंक संबंधित क्षेत्रीय केन्द्र पर नहीं पहुंचे हैं उन्हें फरवरी के अंतिम सप्ताह में होने वाले फाइनल लेशन में भाग लेने नहीं दिया जाएगा।
फाइनल लेसन परीक्षा	सितम्बर माह के तीसरे सप्ताह से चौथे सप्ताह के मध्य
कंप्यूटर प्रायोगिक परीक्षा (प्रश्न पत्र बी.एड. 133)	द्वितीय सम्पर्क शिविर समाप्ति पर
द्वितीय वर्ष के सैद्धान्तिक प्रश्न पत्रों के सत्रीय कार्य क्षेत्रीय केन्द्र पर जमा करने की तिथि	30 अक्टूबर से 15 नवंबर
द्वितीय वर्ष वार्षिक परीक्षा	संभवतः दिसम्बर प्रथम सप्ताह से प्रारंभ
द्वितीय वर्ष परीक्षा परिणाम (संभावित तिथि)	मध्य मार्च

नोट:- जिन विद्यार्थियों की प्रेक्टिस टीचिंग की दोनों फाइल तथा दोनों विषयों के अंक प्राप्त हो गये हैं उनकी सूची निदेशक क्षेत्रीय केन्द्र द्वारा अध्ययन केन्द्रों को भेजी जाएगी तभी उनका फाइनल लेसन देने दिया जाएगा।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. प्रवेश फार्म भरते समय आप जो मोबाईल नं. रजिस्टर्ड कराते हैं उसे पूरी बी.एड. के दौरान नहीं बदले आपको महत्वपूर्ण सूचनाएं SMS द्वारा इसी मोबाईल नं. पर प्राप्त होगी।
2. काउन्सलिंग की सम्पूर्ण प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात् लगभग दो माह में आपको स्कॉलर नम्बर एवं क्षेत्रीय केन्द्र आवंटित होगा जिसकी पृथक से सूचना SMS द्वारा आपके रजिस्टर्ड मोबाईल पर प्रदान की जायेगी। जैसे ही आपको स्कॉलर नं. प्राप्त होता है आप विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.v mou.ac.in के Home page पर जायें वहां दांयी और student one view लिखा होगा उस पर Click करें निम्न प्रकार का एक Box आएगा उसमें अपना स्कॉलर नम्बर भरें एवं Date of Birth भरें फिर submit करें आपको अपना Application फोटो सहित तथा आपके द्वारा फॉर्म में भरी गई सम्पूर्ण जानकारी दिखाई पड़ेगी। उस पर आपको सभी प्रश्न पत्रों के सत्रीय कार्य एवं सत्रीय कार्य एवं पाठ्यपुस्तके (SLM) भी दिखाई पडेगे। जब आपका परीक्षा परिणाम आया तब उसके अंक भी इसी पर दिखाई देगे।

3. आपको पाठ्यपुस्तकें (SLM) काउंसिलिंग के समय पाठ्यसामग्री उत्पादन एवं वितरण, वमखुवि,कोटा द्वारा प्राप्त हो जाएगी। यदि आप पाठ्य सामग्री नहीं लेते तो आप student one view से डाउन लोड कर पढ़ाई कर सकते हैं।
4. सत्रीय कार्य आपको पृथक से नहीं भेजे या दिये जाएंगे। अतः इसी लिंक से डाउनलोड करें और समय से सत्रीय कार्य को पूर्ण करें। यदि किसी तरह की कोई समस्या आती है तो soe@vmou.ac.in पर मेल करें अथवा शिक्षा विद्यापीठ, व.म.खु.विवि से संपर्क करें।
5. वह छात्र जो किसी भी कारण से प्रथम वर्ष की परीक्षा से वंचित रह जाते हैं या प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाते, उनको भी द्वितीय वर्ष प्रमोटी फार्म आवश्यक रूप से भरना होगा | यह फार्म द्वितीय वर्ष के लगभग जनवरी/फरवरी से ऑन लाइन ही भरा जाएगा | जिसके साथ ही वह द्वितीय वर्ष का शुल्क 26,880 रुपये अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बढ़ा हुआ शुल्क ऑन लाइन के माध्यम से ही जमा कराएंगे। | द्वितीय वर्ष का शुल्क एवं द्वितीय वर्ष प्रमोटी फार्म समय पर जमा नहीं कराने की अवस्था में बी.एड. के शेष रहे कार्य पूरे करना संभव नहीं होगा और इस अभाव में प्रवेश भी निरस्त किया जा सकता है।
6. वह छात्र जो किसी भी कारण से प्रथम वर्ष की सत्रांत परीक्षा (अधिकांश दिसम्बर माह में आयोजित) से वंचित रह जाते हैं या प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाते, वह जून माह में होने वाली परीक्षा के लिये निर्धारित समय में प्रति प्रश्न पत्र डिफाल्टर शुल्क online Form भर कर एवं शुल्क जमा कराकर परीक्षा में बैठ सकते हैं | फाइनल लेसन एवं कम्प्यूटर प्रैक्टिकल का परीक्षा केन्द्र आपका अध्ययन केन्द्र ही होगा। किसी अन्य शहर का आनलाइन चयन नहीं करें।
7. यदि किसी छात्र का प्रथम या द्वितीय वर्ष का संपर्क शिविर रह जाता है तो डिफाल्टर शुल्क प्रति शिविर (1000 रुपये) के साथ अगले साल डिफाल्टर विद्यार्थी के रूप में वह संपर्क शिविर में बैठ सकता है | लेकिन ध्यान रहे जब तक दोनों संपर्क शिविर पूरे नहीं होंगे परीक्षा परिणाम जारी नहीं होगा।
8. NCTE के नियमानुसार छात्र की संपर्क शिविर में शत प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है | यदि किसी शिविर में एक या दो दिन की अनुपस्थिति है तो भी अगले वर्ष पूरा शिविर डिफाल्टर के रूप में उपस्थित होना होगा।
9. यदि कोई छात्र नियत समय पर अपने सत्रीय कार्य जमा नहीं करा पाता है तो देरी से प्राप्त होने की स्थिति में परीक्षा परिणाम अगली परीक्षा तक विलम्ब हो सकता है।
10. यदि कोई छात्र नियत समय पर अपने प्रोजेक्ट कार्य जमा नहीं करा पाता है तो डिफाल्टर शुल्क के साथ उसे वह बाद में जमा करने होंगे | जिससे उसका परीक्षा परिणाम में विलम्ब हो सकता है |

नोट:— डिफाल्टर विद्यार्थी आवेदन हेतु विस्तृत निर्देश पृष्ठ संख्या 31 पर देखें।

11. द्वितीय वर्ष में आपको शिक्षण अभ्यास के दौरान प्रथम शिक्षण विषय में कक्षा 6 से 8 में 18 पाठ तथा द्वितीय शिक्षण विषय में कक्षा 9 से 10 में 12 पाठ पढ़ाने होंगे इस हेतु आप जिन माध्यमिक विद्यालयों में ये पाठ पढ़ाना चाहते हैं उनके शालाप्रधान के लेटर पैड पर निर्धारित प्रारूप में (संलग्न) मय हस्ताक्षर मोहर सहित स्वीकृति प्राप्त करें। क्षेत्रीय केन्द्र पर 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जमा करायें जहां से आपको अनुमति पत्र जारी होगा। उसे प्राप्त कर शालाप्रधान को मानदेय प्रारूप के साथ सौंपें।

बी.एड. प्रथम वर्ष सत्रीय कार्य एवं प्रोजेक्ट कार्य हेतु आवश्यक निर्देश

1. B.Ed. 101,102,103,104,106, 113 एवं (B.Ed. 107 से 131 में से कोई एक) का सत्रीय कार्य प्रश्न पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट से student one view में जाकर अपना स्कॉलर नम्बर एवं जन्म तिथि अंकित कर सब्मिट करें। ऐसा करने पर आपको अपना आवेदन पत्र नजर आयेगा। वहां से आपके विषय के सत्रीय कार्य प्रश्न पत्र डाउनलोड कर लें। उनमें दिये गये प्रश्नों को निर्देशानुसार पाठ्यपुस्तक में से पढ़कर A- 4 साइज के कागज पर स्वयं की हस्तलिपि में तैयार करने हैं। उन्हें उसी सत्र में 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के मध्य अपने क्षेत्रीय केन्द्र पर जमा कराने हैं। इसकी पावती अवश्य प्राप्त कर लें।
2. B.Ed. 105 एवं B.Ed. 114 दोनों प्रोजेक्ट कार्य हैं उसकी पाठ्यपुस्तक (Manual) जैसे ही आपको मिलती है अथवा आनलाइन पढ़कर उसमें लिखे हुए निर्देश एवं उदाहरण के अनुरूप आपको अपने विद्यालय में ये गतिविधियाँ करनी है। उसकी रिपोर्ट निर्देशानुसार बनानी है। और उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को प्रधानाध्यापक से प्रति हस्ताक्षरित मय सील कराना है। जिसके प्रथम पृष्ठ पर प्रधानाध्यापक का प्रमाण पत्र लगा हुआ हो कि यह कार्य आपने उनके विद्यालय में पूर्ण किया है। ये दोनों प्रोजेक्ट परीक्षा नियंत्रक वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा को रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा 1 नवंबर से 15 नवंबर के मध्य भेजे जिनका बाह्य परीक्षकों द्वारा मूल्यांकन कराया जाएगा। प्रधानाध्यापक से प्रति हस्ताक्षरित किये बिना भेजे गए प्रोजेक्ट मान्य नहीं होंगे।
3. प्रथम वर्ष के सभी प्रश्न पत्रों की सैद्धान्तिक परीक्षा संभवतः दिसम्बर प्रथम सप्ताह से प्रारंभ होगी।
4. पृष्ठ 18 पर दर्शाये प्रथम वर्ष कलेण्डर की पूर्णतया पालना करें।

बी.एड. द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों हेतु आवश्यक निर्देश

1. बी.एड. प्रथम वर्ष की परीक्षा हो जाने के पश्चात् बिना परीक्षा परिणाम आये भी आप द्वितीय वर्ष का प्रमोटी प्रवेश आवेदन द्वितीय वर्ष के जनवरी से फरवरी में निर्धारित शुल्क रूपये 26880 अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बढ़ा हुआ शुल्क जो भी लागू हो निर्देशानुसार जमा कर अवश्य भरे। यह आवेदन पत्र आप किसी भी ई-मित्र केन्द्र पर जाकर भर सकते हैं। अन्यथा आपको इन्टरनशिप कार्य नहीं करने दिया जाएगा। यूजीसी निर्देशानुसार 28 फरवरी के पश्चात् कोई आन लाइन प्रवेश नहीं होंगे।
2. बी.एड. 116 इन्टरनशिप का कार्य द्वितीय वर्ष में अप्रैल माह से सितम्बर मध्य माह तक करना है। (विस्तृत कलेण्डर विवरणिका में संलग्न है।) (पृष्ठ 21 से 23)
3. द्वितीय वर्ष में B.Ed. 116 प्रश्न पत्र विद्यालयीय प्रशिक्षण (School Internship) का जिसमें विभिन्न प्रोजेक्ट कार्य करने हैं एवं दोनों शिक्षण विषय के लेसन प्लान देने के विस्तृत निर्देश पढ़कर उसी अनुरूप अपना कार्य आरंभ करें। सभी प्रकार के प्रोजेक्ट कार्य A-4 साइज के प्लेन पेपर या लाइनदार कागज पर ही बनाने हैं उस पर फाइल कवर भी उसी साइज का लगाये जो लेस से बंधा हो ताकि कागज निकले नहीं कागज निकल कर खो जाने की स्थिति में आपको शून्य अंक मिल सकता है।
4. B.Ed. 133 प्रश्नपत्र में आपकी कोई फाइल नहीं बनानी है इसकी प्रायोगिक परीक्षा द्वितीय सम्पर्क शिविर समाप्ति पर आपके अध्ययन केन्द्र पर ही होगी। इस हेतु किसी अन्य शहर का परीक्षा केन्द्र चयन करने की स्वीकृति नहीं है।
5. B.Ed. 134 प्रश्नपत्र प्रायोगिक है जिसकी प्रोजेक्ट फाइल आपको पुस्तकें प्राप्त हो इसके पश्चात् इस प्रश्न पत्र से संबंधित विवरणिका में दिए हुए निर्देशों के अनुरूप ही बनानी है।
6. B.Ed. 115 ,117, 118 एवं (B.Ed. 119 से 132 में से कोई एक) सैद्धान्तिक प्रकृति के हैं इनके सत्रीय कार्य आपको पुस्तकें प्राप्त हो जाए उसके पश्चात् A-4 साइज कागज पर हस्तलिखित बनाने हैं जिन्हें आपको द्वितीय वर्ष के कलेण्डर में दी गई तिथि के अनुसार संबंधित क्षेत्रीय केन्द्रों पर जमा कराने हैं।

7. आंतरिक मूल्यांकन, प्रोजेक्ट, लेसन-प्लान डायरी के कवर पेज के प्रारूप आपको साथ में दिये जा रहे हैं उन्हें भी डाउनलोड कर लें।
8. सभी प्रकार का आन्तरिक मूल्यांकन एवं प्रोजेक्टकार्य A-4 साइज के कागज पर स्वयं द्वारा हस्तलिखित होना चाहिए। तथा उसे दिये गये cover page के प्रारूप अनुसार A-4 साइज का मोटा कागज का cover page लगाकर लैस द्वारा बंधा हुआ होना चाहिए। प्लास्टिक फाइल कवर एवं क्लिप का उपयोग नहीं करें, वह निकल जाती है और कागज बिखर जाते हैं। यदि आपने प्लास्टिक फाइल कवर एवं क्लिप का उपयोग किया और इसमें बंधे कागज बिखर जाने के उपरान्त इसका मूल्यांकन नहीं होगा तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।
9. सभी प्रश्न पत्रों की द्वितीय वर्ष की सैद्धान्तिक परीक्षाएं संभवतः दिसम्बर प्रथम सप्ताह से प्रारंभ होगी।

नोट :- प्रधानाध्यापक से प्रति हस्ताक्षरित किये बिना भेजे गए प्रोजेक्ट मान्य नहीं होंगे।

द्वितीय वर्ष में बी. एड. इन्टरनीप (बी. एड. 116) सम्बंधित आवश्यक निर्देश

विद्यालयी प्रशिक्षण एक परिचय :

इन्टरनीप शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का एक अभिन्न हिस्सा है जिसके अन्तर्गत आपको प्रथम वर्ष में सत्र पर्यन्त जिन विद्यालयी गतिविधियों को जाना, शिक्षण कौशलों को समझा, उनके सैद्धान्तिक पक्षों का आत्मसात किया उन सत्र का समग्र विद्यालयी परिस्थितियों में स्वतंत्रता पूर्वक जिम्मेदारी के साथ उपयोग करने का अवसर है। इसमें छात्रा अध्यापक पूर्णकालिक अध्यापक के रूप में किसी विद्यालय में नियुक्त किया जाता है।

दूरस्थ शिक्षा से बी.एड. करने वाले प्रशिक्षु स्वयं सेवारत अध्यापक होते हैं अतः उन्हें कहीं प्रतिनियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है चूंकि वे स्वयं ही एस.टी.सी. की योग्यता प्राप्त किए हुए हैं अतः विद्यालय की शैक्षिक और सहशैक्षिक परिस्थितियों से अच्छी तरह से परिचित हैं।

आप सब जिस विद्यालय में कार्यरत हैं, उसी विद्यालय में यह 6 माह का स्कूल इन्टरनीप (विद्यालय प्रशिक्षण) का कार्यक्रम अग्रलिखित योजना के अनुसार पुरा करना है और प्रत्येक मद की निर्देशानुसार रिपोर्ट बनानी है। लेकिन ध्यान रहे यदि आप प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत हैं तो यह इन्टरनीप कार्य अपने विद्यालय में न करके किसी उच्च प्राथमिक अथवा माध्यमिक विद्यालय में जाकर पुरा करना होगा इस हेतु आपको अपने शाला प्रधान से विशेष अनुमति लेकर अतिरिक्त समय में निकट के किसी उच्च प्राथमिक अथवा माध्यमिक विद्यालय में यह कार्य करें। आपको अपने पाठ भी वहीं देने हैं। यदि आपका विद्यालय कक्षा 1 से 12 का है और आप प्राथमिक विभाग में पढ़ाते हैं तो आप उसी विद्यालय में उच्च प्राथमिक अथवा माध्यमिक शाखा में अपने पाठ पढ़ा सकते हैं और वहीं आपको अपने इन्टरनीप का कार्य करना है।

विद्यालयी प्रशिक्षण के उद्देश्य :

छात्राध्यापकों को इस योग्य बनाना कि -

- 1- अध्यापन व्यवसाय की /व्यावसायिक दक्षताओं, अध्यापक प्राक्कथन, जिम्मेदारियों और कौशलों की जानकारी एक रिपोरटेयर के रूप में प्रस्तुत कर सकें।
- 2- वे विद्यालय के विद्यार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पहचान सकें।
- 3- वे उच्च प्राथमिक स्तर एवं माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में सेवा देने हेतु अपने आप को तैयार कर सकें।
- 4- उच्च प्राथमिक स्तर एवं माध्यमिक स्तर के विद्यालयों की सम्पूर्ण गतिविधियों का प्रबंधन एवं उनके संचालन की जानकारी प्राप्त हो सकें।
- 5- विद्यालय के अन्य अध्यापकों एवं साथी अध्यापकों के कौशलों का अवलोकन कर सकें।
- 6- विद्यालय के अध्यापकों द्वारा पर्यपेक्षण एवं प्रति पुष्टि से प्राप्त सुझावों के अनुरूप अपने आप में सुधार लाते हुए राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में सेवाएं देने हेतु आपने आप को तैयार कर सकें।

विद्यालयी प्रशिक्षण योजना :

विद्यालयी प्रशिक्षण कार्यक्रम 12 क्रेडिट का है जिसके लिए आपको विद्यालय एवं समुदाय में न्यूनतम 15 सप्ताह कार्य करना है और निर्देशानुसार रिपोर्ट तैयार करनी है। यह कार्य एवं रिपोर्ट आप द्वितीय वर्ष के अप्रैल माह से सितम्बर मध्य तक (15 मई से 21 जून ग्रीष्मकालीन अवकाश को छोड़कर) कर सकते हैं। इसके अन्तर्गत 12 क्षेत्रों की गतिविधियां हैं जिसका निर्धारित समय और उसमें क्या करना है आगे के अध्यायों में इसका विस्तृत विवरण दिया जा रहा है।

नीचे दी गई सारणी का अवलोकन करें

क्र.सं	विद्यालयी प्रशिक्षण के मुख्य पद	प्रत्येक पक्ष से की जाने वाली गतिविधि	आवंटित समय	अंक भार
1	विद्यालयी अध्यापकों समुदाय के लोगों एवं विद्यार्थियों से अन्तःक्रिया आधारित रिपोर्ट	1. अध्यापकों से अन्तः क्रिया 2. समुदाय से अन्तःक्रिया 3. विद्यार्थियों से अन्तः क्रिया	एक सप्ताह (अप्रैल प्रथम सप्ताह)	12
2	गाँव/समुदाय के अवलोकन आधारित रिपोर्ट	किसी गाँव की सामाजिक भौतिक, आर्थिक संस्कृति शैक्षिक वातावरण अवलोकन आधारित विवरण तैयार	एक सप्ताह (अप्रैल द्वितीय सप्ताह)	12

		करना		
3	विद्यालय की अवलोकन रिपोर्ट	विद्यालय के संगठन, दर्शन, मानवीय भौतिक संसाधन, सामाजिक आर्थिक स्थिति, एवं भौगोलिक वातावरण आधारित अवलोकन रिपोर्ट	एक सप्ताह (अप्रैल तृतीय सप्ताह)	12
4	विद्यालय के प्रशासनिक कार्य में भागीदार करते हुए रिपोर्ट तैयार करने	1. कक्षाओं के संचालन हेतु योजना 2. सभी प्रकार के रिकॉर्ड और फाइलों का संधारण 3. मिड डे मिल अथवा इसके समकक्ष चल रही गतिविधियों की योजना	दो सप्ताह (अप्रैल चतुर्थ एवं मई प्रथम सप्ताह)	24
5	विद्यालय की सहशैक्षिक गतिविधियों में भागीदारी एवं उस पर आधारित रिपोर्ट तैयार करना	1. प्रातः कालीन प्रार्थना सभा संचालन की योजना 2. जागरूकता कार्यक्रम की योजना 3. खेलकूद गतिविधियों की योजना एवं भागीदारी 4. सांस्कृतिक गतिविधियों की योजना एवं भागीदारी (ड्रामा, वाद विवाद, गीत, संगीत, क्विज एन सीसी, एनएसएस, स्काउट गाईड, कैम्प इत्यादि)	दो सप्ताह (जुलाई द्वितीय एवं जुलाई सप्ताह)	24
6	कक्षा कक्ष के अवलोकन रिपोर्ट	विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक शैक्षिक प्रोफाइल तैयार करना उनकी भौतिक, मानसिक, संवेगात्मक आश्यकताओं के ध्यान में रखते हुए। इसके अन्तर्गत पाठ्यक्रम विषयवस्तु की गुणवत्ता, आंकलन शिक्षण अधिगम की परिस्थितियों को भी सम्मिलित करना है।	एक सप्ताह (जुलाई चतुर्थ सप्ताह)	12 अंक
7	विद्यार्थियों की विविधतापूर्ण आवश्यकताओं का आंकलन और उसी अनुरूप व्यूह रचनाओं का निर्माण	1 शिक्षण का आंकलन 2 शैक्षिक क्षेत्र में अधिगम का आंकलन 3 सह शैक्षिक क्षेत्र में अधिगम का आंकलन	एक सप्ताह (अगस्त प्रथम सप्ताह)	12 अंक
8	सहपाठी अवलोकन	छात्राध्यापक के शिक्षण का उन्ही के साथियों द्वारा अवलोकन एवं रिपोर्ट तैयार करना	प्रथम शिक्षण अभ्यास के दौरान अगस्त माह में	12 अंक
9	अध्यापक अवलोकन रिपोर्ट	छात्राध्यापक के शिक्षण का उसके मेण्टर शिक्षक द्वारा किये गये अवलोकन की रिपोर्ट		
10	अध्यापक के पाठ का विद्यालय के अन्य साथी अध्यापकों द्वारा अवलोकन	छात्राध्यापक के मेण्टर के अलावा विद्यालय के अन्य किसी अध्यापक द्वारा पाठ का अवलोकन		
11	प्रथम ब्लॉक शिक्षण अभ्यास निर्मितवादी उपागम का उपयोग करते हुए उच्च प्राथमिक कक्षाओं का शिक्षण	आपके द्वारा चयन किये गये प्रथम शिक्षण विषय में से 18 पाठों का शिक्षण (एक पाठ अर्थात् एक दिन का विद्यालयी कालांश)	तीन सप्ताह (अगस्त तृतीय, चतुर्थ एवं सितम्बर प्रथम सप्ताह)	36 अंक
12	द्वितीय ब्लॉक शिक्षण निर्मितवादी उपागम का उपयोग करते हुए	आपके द्वारा चयन किये गये द्वितीय शिक्षण विषय में से 12 पाठों का शिक्षण (एक पाठ अर्थात् एक दिन का विद्यालयी कालांश) यदि आपका द्वितीय शिक्षण विषय बी.एड. 119 से 122 में से कोई एक है तो आपको द्वितीय शिक्षण विषय हेतु निर्धारित 12 पाठ प्रथम शिक्षण विषय की इकाइयों में से चयन करके कक्षा 9 अथवा 10 में पढ़ाने होंगे।	दो सप्ताह (सितम्बर द्वितीय एवं तृतीय सप्ताह)	24 अंक

13	फाइनल लेसन	फाइनल लेसन - प्रथम शिक्षण विषय (कक्षा 6 से 8) में किसी एक कक्षा हेतु एक पाठ का प्रदर्शन जिसका आन्तरिक एवं ब्राह्म परीक्षक द्वारा मूल्यांकन	बी.एड. द्वितीय वर्ष के अक्टूबर माह में फाइनल लेसन संभावित	70 अंक
----	------------	--	---	--------

नोट :-

- उक्त चार्ट में इंटरमीडियट के दसों कार्यों की आवंटित समय अनुमानित है यदि इन दिनों में विद्यालय में कोई राजकीय अवकाश घोषित होते हैं तो उतने ही दिन यह कार्य आगे के सप्ताह/माह में बढ़ाया जा सकता है। किसी आपातकालीन परिस्थिति में विद्यालय बन्द हो जाते हैं, उसके पश्चात् विद्यालय जब खुलेगा तब से उक्त दसों गतिविधियाँ निर्धारित सप्ताहों में आगे बढ़ी हुई मानकर पूर्ण करनी होगी।
 - क्र. सं. 1 से 10 तक की दस छोटी छोटी रिपोर्ट बनेगी जिसे एक साथ स्पाइरल बाइंड कराके अपने शाला प्रधान से प्रति हस्ताक्षरित कराकर कलेण्डर में दी गयी तिथि एवं स्थान पर निर्देश के अनुसार जमा करानी है। यह दसों रिपोर्ट का एक प्रोजेक्ट कार्य 120 अंक का है जिसका बाह्य मूल्यांकन विश्वविद्यालय के बाह्य परीक्षकों के द्वारा किया जायेगा। इन दसों कार्यों को करने की विस्तृत जानकारी बी.एड. 116 पुस्तिका में उपलब्ध होगी। बिना शाला प्रधान के प्रति हस्ताक्षरित किये भेजा गया प्रोजेक्ट मूल्यांकन हेतु मान्य नहीं होगा।
- क्रम संख्या 11, 12 दोनों शिक्षण विषयों की प्रैक्टिस टीचिंग से संबंधित है जिनका पूर्णांक क्रमशः 36 और 24 है। इन दोनों शिक्षण विषयों की पाठ योजना फाइल आपको बनानी है और प्रत्येक को विद्यालय के मेंटर / पर्यवेक्षक द्वारा रिमार्क लगवाने हैं। दोनों पर्यवेक्षकों के द्वारा निर्धारित प्रारूप में दिये गये अंक प्रधानाध्यापक द्वारा अग्रेषित कर मय मानदेय बिल कवॉरिंग लेटर जिस पर आवक जावक क्रमांक हो सील बन्द लिफाफे में निदेशक क्षेत्रीय केन्द्र को फरवरी प्रथम सप्ताह में रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजेगा अथवा आप स्वयं यह लिफाफा लेकर क्षेत्रीय केन्द्र पर जमा करायेंगे। साथ ही दोनों प्रैक्टिस टीचिंग फाइल भी वही जमा करायेंगे।

द्वितीय वर्ष प्रैक्टिस टीचिंग हेतु निर्देश

(बी.एड. 116 क्र.सं. 11 से 12) पूर्णांक 60 अंक

- लेसन प्लान डायरी (18 लेसन प्रथम शिक्षण विषय, 12 लेसन द्वितीय शिक्षण विषय) A-4 साइज के कागज के आकार की ही बनानी है। जिसका कवर पेज प्रारूप आपको साथ में दिये जा रहा है उन्हें भी डाउनलोड कर लें। दोनों लेसन प्लान डायरी के लेसन आपके मेंटर द्वारा जांचे हुए होने चाहिए। उस पर मेंटर के हस्ताक्षर होने चाहिए एवं डायरी मुख्य पृष्ठ पर शाला प्रधान द्वारा प्रमाणीकरण होनी चाहिए। दोनों शिक्षण विषयों के लेसन पूर्ण हो जाए उसके पश्चात दोनों डायरियां जुलाई अंतिम सप्ताह से अगस्त प्रथम सप्ताह तक संबंधित क्षेत्रीय केन्द्र पर जमा करानी होंगी। मेंटर/पर्यवेक्षक उसी विद्यालय के अध्यापक का चयन करें जहां आप यह पाठ पढ़ायेंगे।
- उक्त दोनों शिक्षण विषयों के पाठ आपको अपने निकट के किसी माध्यमिक विद्यालय में देने हैं। उस विद्यालय के शाला प्रधान से उनके लेटर पेड पर निर्धारित प्रारूप में (संलग्न पृष्ठ संख्या 35) स्वीकृति लेकर आपको अपने क्षेत्रीय केन्द्र पर व्यक्तिशः/डाक द्वारा जमा करानी है। उस पत्र में आपके दोनों शिक्षण विषयों के पर्यवेक्षण करने वाले मेंटर/पर्यवेक्षकों का नाम भी भेजें। द्वितीय वर्ष का प्रमोटी प्रवेश लेने के तुरन्त पश्चात् अर्थात् 15 अगस्त से 15 सितम्बर के मध्य यह पत्र जमा कराना है। उस स्वीकृति के आधार पर निदेशक क्षेत्रीय केन्द्र उस शाला प्रधान के नाम एक स्वीकृति पत्र जारी करेंगे तथा साथ में मानदेय बिल का प्रारूप भी देंगे। इस आप व्यक्तिशः प्राप्त करेंगे तो बेहतर रहेगा। (प्रारूप पृष्ठ संख्या 36 से 38)। प्रत्येक विद्यार्थी के पाठों की योजना बनाने, उन्हें जांचने तथा कक्षा में पाठों का निरीक्षण कर टिप्पणी लिखने के लिए तथा अन्य प्रोजेक्ट कार्य हेतु पर्यवेक्षकों की नियुक्ति निम्न वरीयता में से कोई एक को दृष्टिगत रखते हुए करें।

- (अ) शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय/विद्यालय में संबंधित विषय का अध्यापक
(ब) संबंधित विषय का एम.ए./एम.कॉम/एमएससी तथा एमएड अध्यापक
(स) संबंधित विषय में स्कूल शिक्षा में व्याख्याता संबंधित विषय का एम.ए./एम. कॉम/एमएससी तथा एम.एड. अध्यापक एवं पाँच वर्षों का माध्यमिक शाला में अध्यापन अनुभव
(द) संबंधित विषय का बी.ए./बी.कॉम/बीएससी तथा बी.एड. अध्यापक एवं 10 वर्षों का माध्यमिक शाला/उच्च प्राथमिक शाला में अध्यापन अनुभव

3. जिन विद्यार्थियों ने द्वितीय शिक्षण विषय के रूप में B.Ed -119, B.Ed. - 120, B.Ed. - 121 एवं B.Ed. - 122 में से कोई एक लिया है और चूँकि ये विद्यालयी शिक्षण विषय नहीं है अतः इनकी पाठ योजनाएं बनाना संभव नहीं है। अतः ऐसे विद्यार्थियों को द्वितीय शिक्षण विषय के 12 पाठ पढ़ाने हेतु अपने प्रथम वर्ष के चयनित शिक्षण विषय में से ही किन्हीं प्रकरणों का चयन कर कक्षा 9 अथवा 10 के शिक्षण हेतु पाठ बनाकर पढ़ाना है।
4. शाला प्रधान निर्धारित प्रारूप में प्रेक्टिस टीचिंग के अंक सील बन्द लिफाफे में मय बिल रजिस्टर्ड डाक से संबंधित क्षेत्रीय केन्द्र पर जहाँ विद्यार्थी पंजीकृत हैं, पर रजिस्टर्ड डाक/व्यक्तिशः पहुंचाये। इसकी एक प्रति विद्यालय में भी अवश्य रखें। जिन विद्यार्थियों के यह अंक संबंधित क्षेत्रीय केन्द्र पर नहीं पहुंचे है उन्हें सितम्बर माह के अंतिम सप्ताह में होने वाले फाइनल लेसन में भाग लेने नहीं दिया जाएगा। पाठ योजनाओं में कभी भी शत प्रतिशत अंक नहीं आ सकते। अतः किसी विद्यार्थी के ऐसा पाया गया तो उस पर कार्यवाही होगी, और उसे सभी लेसन वापस देने होंगे।

बी.एड. फाइनल लेसन हेतु विद्यार्थियों के लिये आवश्यक निर्देश

1. जिन विद्यार्थियों ने बी .एड.116 इन्टर्नशीप कार्य के अन्तर्गत प्रथम शिक्षण विषय के कुल 18 पाठ (पूर्णांक 36 अंक) द्वितीय शिक्षण विषय के कुल 12 पाठ (पूर्णांक 24 अंक) अग्रेषित कराके लेसन डायरियां क्षेत्रीय केन्द्र पर जमा कर दी हो तथा दोनों विषयों के अंक सील बंद लिफाफे में प्रधानाध्यापक के द्वारा अग्रेषित पत्र के साथ क्षेत्रीय केन्द्र पर जमा कर दिया हो उन्हें ही फाइनल लेसन के लिए स्वीकृति प्रदान की जाएगी।
2. जिन विद्यार्थियों ने बी .एड.116 इन्टर्नशीप कार्य के अन्तर्गत विद्यालयी गतिविधियों का 120 अंक का कार्य विद्यालयों में करके प्रधानाध्यापक से अग्रेषित कराके प्रोजेक्ट रिपोर्ट फाइल तैयार कर ली है उनको कलेण्डर में दी गयी तिथि एवं निर्देश के अनुसार जमा करानी है।
3. यह प्रोजेक्ट रिपोर्ट फाइल आपको बाह्य मूल्यांकन हेतु परीक्षा नियंत्रक वमखुवि कोटा को रजिस्टर्ड डाक से 1 नवंबर से 15 नवंबर के मध्य भेजनी होगी |
4. जिन विद्यार्थियों ने द्वितीय शिक्षण विषय के रूप में B.Ed.-119, B.Ed.-120, B.Ed.-121 एवं B.Ed.- 122 लिया है और चूंकि ये विद्यालय शिक्षण विषय नहीं है अतः उन्हें प्रथम वर्ष के लिए चयनित शिक्षण विषय में ही कक्षा 9 अथवा 10 के 12 पाठ पढ़ाने की इजाजत है। अतः वह फाइनल लेसन द्वितीय शिक्षण विषय की डायरी में प्रथम शिक्षण विषय के ही किसी अन्य प्रकरण पर कक्षा 9 अथवा 10 का पाठ बना कर पढ़ा सकते हैं।
5. विद्यार्थी को फाइनल लेसन हेतु दोनों विषय की पाठ योजना बनानी है। पाठ योजना हेतु A-4 साइज के पृष्ठ काम लें। उसका कवर पेज दिये गये प्रारूप के अनुरूप A-4 साइज पर प्रिंट निकालकर उस पर लगायें यह पाठ योजना डायरी A-4 साइज की लैस वाली फाइल लगायें ताकि पृष्ठ अलग न हों।
6. फाइनल लेसन प्रथम शिक्षण विषय का होगा यदि परीक्षकों के पैनल ने पाठ रीपीट करने को कहा तो दूसरे शिक्षण विषय पर पाठ होगा। अतः विद्यार्थियों को दोनों विषयों के पाठ बना कर लाने हैं, और दोनों की तैयारी करके आना है यह फाइनल लेसन 70 अंक का है।
7. फाइनल लेसन के दिन अध्ययन केन्द्र पर उपलब्ध विद्यार्थियों की सूची में हस्ताक्षर अवश्य करें।
8. फाइनल लेसन आपको आर्टिस्ट अध्ययन केन्द्र पर ही होगा इस हेतु किसी अन्य शहर का परीक्षा केन्द्र लेने की स्वीकृति नहीं है।

डिफाल्टर विद्यार्थियों के लिए निर्देश

बी.एड. कार्यक्रम में प्रवेश लेने के उपरान्त प्रथम वर्ष/द्वितीय वर्ष की परीक्षा होने के पश्चात् विद्यार्थी पिछले वर्ष के किसी घटक को नहीं कर पाता है तो अगले वर्ष वह उस घटक के लिए डिफाल्टर के रूप में परीक्षा देने के लिए पात्र माना जाता है।

1. **सम्पर्क शिविर डिफाल्टर:-** बी.एड. कार्यक्रम के सम्पर्क शिविर NCTE मानदण्डानुसार प्रतिवर्ष गीष्मावकाश मई माह में ही आयोजित होते हैं जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी को प्रति वर्ष अनिवार्यतः शत प्रतिशत उपस्थित होना अनिवार्य होता है। प्रथम वर्ष 16 मई से 21 मई, द्वितीय वर्ष 23 मई से 28 मई तिथि निश्चित है। इन सम्पर्क शिविर को अनिवार्य गतिविधि के रूप में करना है। इस हेतु डिफाल्टर विद्यार्थी 1000/- का चालान पंजाब नेशनल बैंक में जमा कराकर संबंधित क्षेत्रीय केन्द्र से सम्पर्क शिविर आरम्भ होने से पूर्व अनुमति जारी करवा के अध्ययन केन्द्र पर पहुँच कर सम्पर्क शिविर में भाग लेगा।

2. **बी.एड. 133 ICT प्रश्न पत्र (प्रायोगिक) डिफाल्टर:-** चूँकि यह परीक्षा द्वितीय वर्ष के सम्पर्क शिविर की समाप्ति के उपरान्त अगले दिन 29 मई को ही आयोजित होना संभव है। अतः विद्यार्थी को प्रति वर्ष अप्रैल माह में आन लाइन पोर्टल पर 1000/- शुल्क जमा कराना अनिवार्य है। तभी विद्यार्थी को प्रायोगिक परीक्षा में बैठने दिया जाएगा। बी.एड. 133 प्रश्न पत्र का आन लाइन पोर्टल दिसम्बर परीक्षा में खुला हो तो भी आवेदन नहीं करें। क्योंकि इसकी परीक्षा मई माह में अध्ययन केन्द्र पर ही होती है। अलग से परीक्षा शहर का चयन नहीं करें।

3 **(a) इंटर्नशीप बी.एड. 116 PJ डिफाल्टर:-** इंटर्नशीप की गतिविधि क्रम संख्या 1 से 10 विद्यालयों में आयोजित की जाती है। जिसकी प्रोजेक्ट फाईल बनाकर विद्यार्थी डाक द्वारा परीक्षा नियंत्रक को बाह्य मूल्यांकन हेतु भेजता है। इसके लिए 200/- डिफाल्टर शुल्क निर्धारित है। विद्यार्थी को मार्च/अप्रैल माह में आन लाइन पोर्टल पर बी.एड. 116 PJ कोड पर 200/- रूपये जमा कराना होगा। तभी प्रोजेक्ट का मूल्यांकन होगा। यद्यपि वह अपनी विद्यालयी गतिविधि प्रमोटी फार्म भरने के पश्चात् 1 अप्रैल से प्रारम्भ कर सकता है। प्रोजेक्ट पूर्ण होने के पश्चात् विद्यार्थी उसे सितम्बर माह में पूर्ण करने के बाद परीक्षा नियंत्रक को डाक के द्वारा भिजवायें।

(b) बी.एड. इंटर्नशीप (पेपर कोड BED 116 PT) डिफाल्टर:- इंटर्नशीप की गतिविधि क्रम संख्या 11 एवं 12 प्रेक्टिस टीचिंग से संबंधित है विद्यार्थी विद्यालयों में प्रथम शिक्षण विषय के 18 एवं द्वितीय शिक्षण विषय के 12 कुल 30 पाठ विद्यालय में पढ़ायेगे। इस गतिविधि का कोड BED 116 PT है। अतः विद्यार्थी अक्टूबर माह में आन लाइन पोर्टल पर BED116 PT कोड पर 1000/- रूपये डिफाल्टर शुल्क जमा करायेगा। तभी यह गतिविधि मान्य होगी तथा प्रधानाध्यापक द्वारा क्षेत्रीय केन्द्र निदेशक को अग्रेषित 60 अंक परीक्षा रिकार्ड में इन्द्राज होंगे। इसे दिसम्बर परीक्षा के लिए इन्द्राज किया जाएगा।

(c) फाइनल लेसन (पेपर कोड BED 116F) डिफाल्टर:- चूँकि यह परीक्षा सितम्बर अंतिम सप्ताह से अक्टूबर मध्य माह तक अध्ययन केन्द्रों पर ही आयोजित की जाती है। इसमें भी परीक्षा शहर बदलने का प्रावधान नहीं है। अतः डिफाल्टर विद्यार्थी को इस हेतु मार्च/अप्रैल माह में आन लाइन पोर्टल पर पेपर कोड BED116F पर 1000/- जमा कराने होंगे, तभी इस परीक्षा में बैठने दिया जाएगा। इस परीक्षा के अंक परीक्षा विभाग के रिकार्ड में अक्टूबर परीक्षा के रूप में इन्द्राज किए जाएंगे। फाइनल लेसन के लिए अलग से शहर का चुनने का प्रावधान नहीं है। यह आपके अध्ययन केन्द्र पर ही आयोजित होगी। अतः परीक्षा केन्द्र हेतु उसी शहर का चयन करें।

4. **सैद्धान्तिक प्रश्न पत्रों के डिफाल्टर :-** पिछले सत्र की सैद्धान्तिक परीक्षा के किसी प्रश्न पत्र में परीक्षा नहीं दे पाये हों या अनुत्तीर्ण हो गये हों तो उसे अगले सत्र में दो बार जून परीक्षा के साथ अथवा दिसम्बर परीक्षा के साथ दिया जा सकता है। जिनके आन लाइन परीक्षा आवेदन मय शुल्क क्रमशः मार्च/अप्रैल माह अथवा अक्टूबर/नवंबर माह में भर कर ही परीक्षा में बैठा जा सकता है।

5. **प्रोजेक्ट BED 105 एवं BED 134 के डिफाल्टर :-** पिछले सत्र में उक्त प्रोजेक्ट नहीं कर पायें हो तो उसे अगले सत्र में या तो जून परीक्षा के साथ अथवा दिसम्बर परीक्षा के साथ परीक्षा नियंत्रक वमखुवि, कोटा को भेजा जा सकता है। जिनके आन लाइन परीक्षा आवेदन पत्र मय शुल्क मार्च/अप्रैल अथवा अक्टूबर/नवंबर माह में भर कर ही मूल्यांकन हेतु भेजा जा सकता है।

नोट: बी.एड सत्र 2024-25 (जनवरी) प्रवेशित छात्र, नियमित रूप से विश्वविद्यालय वेबसाइट देखते रहे। सभी सूचनाएं विश्वविद्यालय वेबसाइट उपलब्ध होंगी। शैक्षणिक कैलेंडर संभावित है। किसी भी प्रकार के परिवर्तन की सूचना **SMS** से नहीं दी जाएगी। अतः कार्यक्रम से सम्बंधित अपडेट रहने के लिए नियमित वेबसाइट देखते रहे। जिससे कार्यक्रम के सभी घटक समय से पूर्ण हो सकें।

शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र

विद्यालय जावक क्रमांक : -----

दिनांक : -----

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री/श्रीमती -----

पुत्र श्री/पुत्री श्री ----- विद्यालय का नाम -----
----- में दिनांक ----- से लगातार वर्तमान में प्राइमरी शिक्षक (सहायक अध्यापक) पद पर स्थायी/ अस्थायी /परिविक्षा पर कार्यरत हैं। जो विद्यालय में कक्षा 1 से 5 / कक्षा 1 से 8 में अध्यापन कार्य करते हैं। ये वेतन श्रृंखला ----- में कुल मासिक वेतन रूपये ----- प्राप्त करते हुए कुल वार्षिक आय रूपये ----- प्राप्त कर रहे हैं/करेंगे।

निम्नलिखित में से जो भी आपकी संस्था पर लागू हो उसके सामने (✓) सही का निशान लगायें। एवं आवश्यक जानकारी भरे।

1. यह विद्यालय राजकीय विद्यालय है जो राज्य / केन्द्र सरकार द्वारा संचालित है। ()

अथवा

2. यह विद्यालय गैर राजकीय विद्यालय है जो राज्य /केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। ()

मान्यता प्राप्ति का वर्ष क्रमांक -----, -----, -----, दिनांक -----

मैं प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ की उपर्युक्त विवरण सही है।

जि.शि.अ.कार्यालय जावक क्रमांक : -----

दिनांक : -----

प्रतिहस्ताक्षर *

जिला शिक्षाधिकारी अथवा सक्षम अधिकारी (मय सील)

(पूरा नाम)

हस्ताक्षर

संस्था प्रधान (मय सील)

(पूरा नाम)

* राजस्थान राज्य के गैर राजकीय विद्यालय एवं राजस्थान राज्य से बाहर के राजकीय अथवा गैर राजकीय दोनों प्रकार के विद्यालयों के अभ्यर्थी प्रति हस्ताक्षर करवायें, वे अभ्यर्थी जो स्वयं संस्था प्रधान हैं वे अपने उच्च अधिकारी से प्रति हस्ताक्षर करवायें।

नोट -

1. आवेदनकर्ता के लिए यह आवश्यक है कि वह प्रवेश फार्म भरते समय एवं काउन्सलिंग के दौरान भी विद्यालय में नियमित रूप से पढ़ा रहा हो। तथा पूरी बी.एड. के दौरान भी अध्यापक रहना चाहिए।
2. विश्वविद्यालय को जो भी सूचना चाहिए वो प्रारूप में दी गई है। यदि संलग्न प्रारूप में ही हस्ताक्षर नहीं हुए तो विश्वविद्यालय शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र को अनुपयुक्त मान कर अस्वीकार कर सकता है।
3. विवाहित महिला अभ्यर्थी का विवाह के पश्चात नाम/सर नेम बदला हो तो काउन्सलिंग के समय गजट नोटिफिकेशन प्रस्तुत करें अथवा राज्य सरकार में यदि आपके बदले हुए नाम से नियुक्ति हुई हो तो वह नियुक्ति पत्र प्रस्तुत करें।
4. अभ्यर्थी इस अनुभव प्रमाण पत्र को सुरक्षित रखें तथा प्री. बी.एड. परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर प्रवेश काउन्सलिंग के समय प्रस्तुत करें। अनुभव प्रमाण पत्र मूल हस्ताक्षर किया हुआ ही प्रस्तुत करें। तथा काउन्सलिंग के समय नया अनुभव प्रमाण पत्र बनवा कर भी लायें।
5. यदि एक से अधिक विद्यालयों में कार्यरत रहे हो तो और आप चाहे तो उन सबके अलग से प्रमाण पत्र बनवाकर संलग्न करें। ऐसी स्थिति में उपरोक्त प्रारूप की पंक्ति संख्या 3 में "लगातार" शब्द के स्थान पर विद्यालय छोड़ने की दिनांक भी लिखें।
6. शिक्षक जो स्वयं विद्यालय प्रधान हैं वे अपने उच्च अधिकारी से शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र प्रतिहस्ताक्षरित करवा कर प्रस्तुत करें।



वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा
(शिक्षा विद्यापीठ)

घोषणा पत्र

मैं.....पुत्र/पुत्री श्री
केटेगरी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा के बी.एड. कार्यक्रम में प्रवेशार्थी हूँ। मैं एतद् द्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि इस कार्यक्रम में प्रवेश हेतु दी गयी सूचनाएं एवं दस्तावेज मेरी जानकारी के अनुसार पूर्णतया सत्य हैं। प्रवेश के समय या प्रवेश के बाद किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि बी.एड. में प्रवेश हेतु मेरे द्वारा कोई गलत जानकारी दी गयी है या कोई गलत दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है या कोई महत्वपूर्ण जानकारी छुपाई गई है तो विश्वविद्यालय को यह अधिकार है कि मेरा प्रवेश निरस्त कर दिया जाए एवं फीस जब्त कर ली जाय। इस संदर्भ में सारी जवाबदेही मेरी होगी। बी.एड. से संबंधित विश्वविद्यालय एवं NCTE द्वारा निर्धारित किए गए सभी नियम मान्य होंगे।

भवदीय

(विद्यार्थी के हस्ताक्षर)

बी.एड. प्रवेश कंट्रोल न.

पता.....

.....

.....

मोबाईल नम्बर.....

**राजस्थान राज्य से बाहर के राज्यों में अध्यापन कर रहे आवेदकों के लिये
शपथ पत्र**

मैं.....पुत्र/पुत्रीश्री.....

उम्र.....निवासी.....शपथ पूर्वक यह घोषणा करता हूँ कि मैं वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा राजस्थान जिसका कार्यक्षेत्र राजस्थान राज्य में ही सीमित है, के बी.एड. कार्यक्रम में प्रवेश लेकर इसकी निम्नलिखित गतिविधियों को राजस्थान राज्य में पूरा करूंगा

1. राजस्थान राज्य स्थित व. म. खु.वि., कोटा के 7 क्षेत्रीय केन्द्रों में से किसी भी एक क्षेत्रीय केन्द्र एवं उसके अन्तर्गत आने वाले एक अध्ययन केन्द्र का चयन।
2. उसी अध्ययन केन्द्र पर प्रतिवर्ष होने वाली परामर्श कक्षाओं, सम्पर्क शिविर में भाग लेना।
3. 6 माह का इन्टर्नशीप जिसके अन्तर्गत विद्यालयी गतिविधियाँ दोनों शिक्षण विषयों की प्रेक्टिस टीचिंग उसी क्षेत्रीय केन्द्र के क्षेत्र में आने वाले किसी राजकीय विद्यालय में पूरी करूंगा। उस राजकीय विद्यालय की स्वीकृति भी विश्वविद्यालय में क्षेत्रीय केन्द्र आवंटित होते ही 7 दिन में प्रस्तुत कर दूंगा।
4. सभी सत्रीय कार्य, प्रोजेक्ट कार्य राजस्थान के ही विद्यालयों में सम्पन्न करूंगा।
5. प्रतिवर्ष होने वाली सैद्धान्तिक वार्षिक परीक्षा राजस्थान राज्य स्थित परीक्षा केन्द्र पर दूंगा।
6. बी.एड. के लिए होने वाली कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा फाइनल लेसन भी राजस्थान राज्य स्थित विद्यालय में ही दूंगा।

उपरोक्त के साथ—साथ अन्य कोई भी बी.एड. संबंधित गतिविधि जो किसी भी समय निर्धारित होती है मैं समय पर उसे राजस्थान राज्य में ही पूरा करूंगा। यदि मैं ऐसा नहीं कर पाया तो वि.वि.विद्यालय को मेरा प्रवेश निरस्त करने एवं फीस जब्त करने का अधिकार होगा।

हस्ताक्षर

नाम

बी.एड. प्रवेश कंट्रोल न.....

मोबाईल

पता

.....

नोट :— उक्त शपथ पत्र 100/— रूपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी कराकर प्रस्तुत करें।

प्रतिरक्षा कर्मचारी स्वयं के लिए प्रमाण पत्र का प्रारूप

प्रमाण पत्र

क्रमांक:

दिनांक:

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु./श्रीमती एक प्रतिरक्षा कर्मचारी/अधिकारी है जिनका रैंक है तथा नम्बर है जो कि सक्रिय सेवारत हैं अथवा सक्रिय सेवारत थे अथवा ससम्मान सक्रिय सेवा से अवकाश प्राप्त किया।

यूनिट मेजर/आफिसर कमाण्डेण्ट अथवा सेक्रेटरी सोल्जर्स
बोर्ड के हस्ताक्षर एवं मोहर
अधिकारी का पूरा नाम

कार्यालय, राजकीय

क्रमांक :

दिनांक

निदेशक

क्षेत्रीय केन्द्र

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय

.....

विषय :- बी.एड. द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी की प्रेक्टिस टीचिंग हेतु अनुमति बाबत

महोदय,

विषयान्तर्गत श्री (बी.एड. विद्यार्थी का नाम) स्कॉलर नम्बर को इस विद्यालय में प्रथम शिक्षण विषय (विषय का नाम) तथा द्वितीय शिक्षण विषय (विषय का नाम) के क्रमशः 18 एवं 12 पाठ के शिक्षण हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। प्रथम शिक्षण विषय अभ्यास हेतु इस विद्यालय के शिक्षक (शिक्षक का नाम) श्री तथा द्वितीय शिक्षण विषय अभ्यास हेतु शिक्षक (शिक्षक का नाम) श्री पर्यवेक्षक होंगे। कृपया निर्धारित प्रारूप में अनुमति पत्र जारी करने का कष्ट करें

भवदीय

(.....)
शाला प्रधान के हस्ताक्षर एवं मोहर

नोट :- विद्यार्थी उपरोक्त प्रारूप में शाला प्रधान से स्वीकृति पत्र प्राप्त कर अपने क्षेत्रीय केन्द्र पर जमा करायें। निदेशक क्षेत्रीय केन्द्र से शाला प्रधान के लिए निर्धारित प्रारूप में प्रेक्टिस टीचिंग हेतु अनुमति पत्र प्राप्त करें।



वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र, ----

क्रमांक: वमखुवि/क्षे.के.--/अभ्यास पाठ

दिनांक:

प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य

नाम छात्र:

.....

स्कालर नं
.....
.....

विषय: बी.एड. सत्र के छात्रों के अभ्यास पाठों के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि यह विश्वविद्यालय सेवारत शिक्षकों के हितार्थ बी.एड. प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करता है जिसमें आपके सहयोग और सेवाओं की आवश्यकता है। बी.एड. प्रशिक्षण से संबंधित अध्यापकों को उनके द्वारा चुने हुए दो विषयों में 18-12 पाठों का शिक्षण अभ्यास अर्थात् कुल 30 पाठ देने होते हैं, जिसके बारे में ध्यान में रखते हुए यह कार्य नवम्बर सन 20.... प्रथम सप्ताह से आरम्भ कर फरवरी सन 20.... द्वितीय सप्ताह के अन्त तक पूर्ण कराने का श्रम करें तथा इण्टर्नशीप कार्यक्रम में विद्यालयी गतिविधियों संबंधी अवलोकन एवं दत्त संकलन में आवश्यक सहयोग प्रदान करें।

1. प्रत्येक विद्यार्थी के पाठों की योजना बनाने, उन्हें जांचने तथा कक्षा में पाठों का निरीक्षण कर टिप्पणी लिखने के लिए तथा अन्य प्रोजेक्ट कार्य हेतु पर्यवेक्षकों की नियुक्ति निम्न वरीयता में से कोई एक को दृष्टिगत रखते हुए करें।
 - (अ) शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय/विद्यालय में संबंधित विषय का अध्यापक
 - (ब) संबंधित विषय का एम.ए./एम.कॉम/एमएससी तथा एमएड अध्यापक
 - (स) संबंधित विषय में स्कूल शिक्षा में व्याख्याता संबंधित विषय का एम.ए./एम. कॉम/एमएससी तथा एम.एड. अध्यापक एवं पाँच वर्षों का माध्यमिक शाला में अध्यापन अनुभव
 - (द) संबंधित विषय का बी.ए./बी.कॉम/बीएससी तथा बी.एड. अध्यापक एवं 10 वर्षों का माध्यमिक शाला/उच्च प्राथमिक शाला में अध्यापन अनुभव
2. प्रतिदिन केवल एक पाठ की व्यवस्था की जा सकती है। यदि कार्य दिवस कम पड़े तो एक दिन में दो पाठ अलग अलग कालांशों में दिये जा सकते हैं।
3. प्रथम शिक्षण विषय कक्षा 06 से 08 तक तथा द्वितीय शिक्षण विषय कक्षा 9 से 12 में पढ़ाये जा सकते हैं। अथवा दोनों शिक्षण विषय भी कक्षा 9 से 12 में पढ़ाये जा सकते हैं। सुविधा की दृष्टि से एक ही विद्यालय में दोनों शिक्षण विषय के पाठ पढ़ायें।

4. अध्ययन केन्द्र, पर तैयार करवाये गये पाठों के आधार पर संबंधित विषयों में 18-12 पाठ योजनाएं तैयार की जाकर पढ़ाई जायें।
5. कक्षा में निरीक्षण के समय पर्यवेक्षक द्वारा प्रतिदिन निर्देश लिखते हुए टिप्पणी अंकित करें।
6. पाठों की समाप्ति पर अभ्यास पाठों के अंक भी प्रदान करने हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार है-
 - a. प्रथम शिक्षण विषय के 18 पाठों के लिए 36 अंकों में से (प्रति पाठ 2 अंक)
 - b. द्वितीय शिक्षण विषय के 12 पाठों के लिए 24 अंकों में से (प्रति पाठ 2 अंक)अभ्यास पाठों की समाप्ति पर पर्यवेक्षक द्वारा संलग्न प्रपत्र संख्या 'अ' में अंक प्रदान करने हैं। इस प्रपत्र पर पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर तथा संस्था प्रधान के मोहर युक्त हस्ताक्षर होना आवश्यक है। कृपया अंको एवं पारिश्रमिक बिल की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें।
7. छात्रों को प्रदत्त अंको को गोपनीय लिफाफे में रजिस्टर्ड डाक द्वारा शाला प्रधान को ही, क्षेत्रीय कार्यालय में भिजवानी है।
8. वित्तीय व्यवस्था: आपकी इन महत्वपूर्ण सेवाओं को किसी पारिश्रमिक राशि से तौला नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी जो व्यवस्था विश्वविद्यालय नियमानुसार है, वह निम्न प्रकार है -
 - a. प्रत्येक विद्यार्थी के दोनों विषयों के क्रमशः 18-12 कुल 30 पाठों के लिए पर्यवेक्षण कार्य के उपलक्ष्य में 20 रुपये प्रति पाठ देय होंगे। यदि दोनों पर्यवेक्षक अलग-अलग विषय के हैं तो प्रथम पर्यवेक्षक को $18 \times 20 = 360/-$ तथा द्वितीय पर्यवेक्षक को $12 \times 20 = 240/-$ देय होगा।
 - b. शाला प्रधान को 150 रूपए प्रति विद्यार्थी की दर से देय होगा।
 - c. पारिश्रमिक बिल दो प्रतियों में भिजवायें अन्यथा बिल पारित करना संभव नहीं होगा।
 - d. क्षेत्रीय केन्द्र के साथ पत्र व्यवहार, अंक सूची, बिल, पाठ अभ्यास डायरियां आदि भेजने का वास्तविक डाक व्यय की प्रमाणित मूल रसीद संलग्न कर प्रपत्र संख्या 'अ' में बनाकर क्षेत्रीय केन्द्र, पर किसी व्यक्ति/वाहक के साथ सीलड लिफाफे में भेज सकते हैं, लेकिन इस कार्य हेतु यात्रा व्यय आदि का भुगतान इस कार्यालय द्वारा देय नहीं होगा।

महत्वपूर्ण: अंको की सूची प्रारूप 'अ' में (दो प्रति में) एवं पारिश्रमिक-डाक व्यय आदि बिल प्रारूप 'ब' में (दो प्रतियों में) दोनों एक लिफाफे में रजिस्टर्ड डाक द्वारा भिजवायें। इन्हें पाठ अभ्यास की डायरियों के पार्सल/पैकेट में रखकर न भेंजें। अंक सूची, बिल प्रपत्र व पाठ अभ्यास डायरियां अक्टूबर माह के तृतीय सप्ताह में आवश्यक रूप से भिजवा दें।

संलग्न:

1. अंकों की सूची प्रारूप 'अ'
2. बिल प्रारूप 'ब'

निदेशक
क्षेत्रीय केन्द्र

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र, कोटा

बी.एड. पाठ्यक्रम सत्र शाला प्रधान द्वारा अध्यापन पाठों के संकलित अंको को भेजने का प्रारूप

1.	विद्यार्थी का नाम	स्काँलर नं.	अध्यापन विषयों के नाम		पर्यवेक्षक का नाम	पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर
			(1) विषय	प्राप्तांक MM36		
			(2) विषय	प्राप्तांक MM24	पर्यवेक्षक का नाम	पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर
2.	विद्यार्थी का नाम	स्काँलर नं.	(1) विषय	प्राप्तांक MM36	पर्यवेक्षक का नाम	पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर
			(2) विषय	प्राप्तांक MM24	पर्यवेक्षक का नाम	पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर

(शाला प्रधान के हस्ताक्षर सील सहित)

**VARDHMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY**

Regional Centre

PRACTICE TEACHING BILL PROFORMA FOR B.Ed. SESSION

1. Name of School and place

2. Name of Head Master/Principal

S.No.	Scholar No.	Name of Student	Teaching Subjects	No. of Lesson	Signature of Supervisor
			I. Teaching	18	
			II. Teaching	12	

S. No.	Name	Rate	Amount	Signature
1.	Principal/H.M. Name.....	150/- per student	
2.	Supervisor's Name (i).....	20/- per lesson	
	Supervisor's Name (ii).....	20/- per lesson	
3.	Postal charges (Please enclosed receipt, if any)		
		Total		

SCHOOL BANK ACCOUNT DETAILS :

Name of Payee/Beneficiary : _____
 Bank Account Number : _____
 Name of Bank & Branch : _____
 IFSC Code No. : _____

Principal/Head Master Signature with seal
Mobile No.

FOR OFFICE USE ONLY

Verified that the award list has been received & entered at B.Ed./P.T. Register Page No.....
 Passed for Rs..... (Rupees.....) for students.

Director, Regional Centre

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

रावतभाटा रोड , कोटा 324021 (राजस्थान)

शिक्षा विद्यापीठ

फोन: - 0744-2797341, फैक्स: - 0744 - 2472525

Visit us at: www.vmou.ac.in

सत्रीय कार्य Internal Assignment



बी० एड० सत्र -----

बी० एड० (प्रथम वर्ष/द्वितीय वर्ष) B. Ed. (First Year/Second Year)

कोर्स / प्रश्न पत्र कोड (Course Code).....

1. कोर्स / प्रश्न पत्र का नाम

2. स्कॉलर संख्या (Scholar No.).....

3. छात्र का नाम

Name of Student (in capital letters)

4. मोबाइल नं.

Mobile No.

5. पत्र व्यवहार का पता (Address for Corresponding)

.....

.....

6. अध्ययन केंद्र का नाम व कोड.....

Name of Study Centre & Code No.

7. क्षेत्रीय केंद्र (Regional Centre).....

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

रावतभाटा रोड , कोटा 324021 (राजस्थान)

शिक्षा विद्यापीठ

फोन: - 0744-2797341, फैक्स: - 0744 - 2472525

Visit us at: www.vmou.ac.in

प्रोजेक्ट फाईल/ Project File



बी० एड० सत्र -----

बी० एड० (प्रथम वर्ष/द्वितीय वर्ष) B. Ed. (First Year/Second Year)

- कोर्स / प्रश्न पत्र कोड (Course Code).....
1. कोर्स / प्रश्न पत्र का नाम
2. स्कॉलर संख्या (Scholar No.).....
3. छात्र का नाम
- Name of Student (in capital letters)
4. मोबाइल नं.
- Mobile No.
5. पत्र व्यवहार का पता (Address for Corresponding)
-
-
6. अध्ययन केंद्र का नाम व कोड.....
- Name of Study Centre & Code No.
7. क्षेत्रीय केंद्र (Regional Centre).....

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

रावतभाटा रोड , कोटा 324021 (राजस्थान)

शिक्षा विद्यापीठ

फोन: - 0744-2797341, फैक्स: - 0744 - 2472525

Visit us at: www.vmou.ac.in

फाइनल लेसन (Final Lesson)

प्रथम शिक्षण विषय / द्वितीय शिक्षण विषय



बी० एड० सत्र -----

कोर्स / प्रश्न पत्र का नाम : B.Ed. 116 (Final Lesson)

1. स्कॉलर संख्या (Scholar No.).....
2. छात्र का नाम
Name of Student (in capital letters)
मोबाइल नं. (Mobile No.).....
3. अध्ययन केंद्र का नाम व कोड.....
Name of Study Centre & Code No.
4. क्षेत्रीय केंद्र (Regional Centre).....

हस्ताक्षर (आन्तरिक परीक्षक)

- 1.
- 2.

हस्ताक्षर (बाह्य परीक्षक)

- 1.
- 2.

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

रावतभाटा रोड , कोटा 324021 (राजस्थान)

शिक्षा विद्यापीठ

फोन: - 0744-2797341, फैक्स: - 0744 - 2472525

Visit us at: www.vmou.ac.in

इन्टर्नशिप प्रोजेक्ट फाइल / Internship Project File

इन्टर्नशिप Bed – 116 (क्रम संख्या 1से10) (पूर्णांक 120)



बी० एड० (द्वितीय वर्ष) B. Ed. (Second Year)

- कोर्स / प्रश्न पत्र कोड (Course Code).....
1. कोर्स / प्रश्न पत्र का नाम
 2. स्कॉलर संख्या (Scholar No.).....
 3. छात्र का नाम
 - Name of Student (in capital letters)
 4. मोबाइल नं.
 - Mobile No.
 5. पत्र व्यवहार का पता (Address for Corresponding)
 -
 -
 6. अध्ययन केंद्र का नाम व कोड.....
 - Name of Study Centre & Code No.
 7. क्षेत्रीय केंद्र (Regional Centre).....

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

रावतभाटा रोड , कोटा 324021 (राजस्थान)

शिक्षा विद्यापीठ

फोन: - 0744-2797341, फैक्स: - 0744 - 2472525

Visit us at: www.vmou.ac.in

अध्यापन अभ्यास फाईल/ Practice Teaching File

B.Ed. - 116 : (क्रम संख्या 11/12)

पूर्णांक प्रथम शिक्षण विषय 36 द्वितीय शिक्षण विषय 24

प्रथम शिक्षण विषय / द्वितीय शिक्षण विषय का नाम -----



बी० एड० (द्वितीय वर्ष) B. Ed. (Second Year)

कोर्स / प्रश्न पत्र कोड (Course Code).....

1. कोर्स / प्रश्न पत्र का नाम

2. स्कॉलर संख्या (Scholar No.).....

3. छात्र का नाम

Name of Student (in capital letters)

4. मोबाइल नं. Mobile No.....

5. पत्र व्यवहार का पता (Address for Corresponding)

.....

.....

6. अध्ययन केंद्र का नाम व कोड.....

Name of Study Centre & Code No.

7. क्षेत्रीय केंद्र (Regional Centre).....

काउन्सलिंग के समय आवेदक को निम्नांकित मूल दस्तावेज एवं एक सेट स्वयं द्वारा प्रमाणित फोटोकॉपी लाने होंगे:-

सभी विद्यार्थियों को प्रवेश आवेदन फार्म में **ABC ID** बनाकर लाना अनिवार्य है/ इसके नहीं होने पर प्रवेश फार्म स्वीकार नहीं किया जाएगा।

1. माध्यमिक या समकक्ष परीक्षा की अंकतालिका व प्रमाण पत्र (जन्म तिथि एवं नाम को जाँचने हेतु)
2. सीनियर सेकेंडरी या समकक्ष परीक्षा की अंकतालिका व प्रमाण पत्र
3. बी.एस.टी.सी. (BSTC)/डी.एल.एड.(D.El.Ed.)/ इत्यादि समकक्ष द्विवर्षीय प्राइमरी अध्यापक शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम जो नियमित रीति से किया हो तथा एनसीटीई से मान्यता प्राप्त है उत्तीर्ण किया हुआ हो। **दोनों वर्षों की** अंकतालिका एवं प्रमाण पत्र जिसमें **Regular** लिखा हुआ हो। अन्यथा जिस संस्थान से आपने उक्त पाठ्यक्रम किया है वहां से **Regular** का प्रमाण पत्र लाये।
नोट - वे विद्यार्थी जिन्होंने राजस्थान राज्य के बाहर अथवा जम्मू एवं कश्मीर से नियमित रूप से बी.एस.टी.सी./डी.एल.एड. या समकक्ष द्विवर्षीय प्राइमरी शिक्षण प्रशिक्षण प्रमाण पत्र जो एनसीटीई से मान्यता प्राप्त हो पूर्ण किया है ऐसे अभ्यर्थी अपना राज्य सरकार में नियुक्ति पत्र एवं ज्वाइनिंग पत्रभी काउन्सलिंग के समय साथ में लेकर आये। और यदि वे गैर सरकारी विद्यालयों में कार्यरत हों तो बी.एस.टी.सी./डी.एल.एड. जिस संस्थान से किया है उसका इस पाठ्यक्रम के लिये जारी NCTE का मान्यता प्रमाण पत्र साथ में लेकर आये। यदि किसी अभ्यर्थी के (B.S.T.C.)/ डी.एल.एड. (D.El.Ed.) की अंकतालिका/प्रमाण पत्र परीक्षा सत्र और परिणाम घोषणा की तिथि में 2-3 माह से ज्यादा का अन्तर हो तो प्रार्थी इस बात का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे कि उसके प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष का नियमित रीति से पूर्ण करने का शिक्षण सत्र क्या है? ऐसा विद्यार्थी अपनी संस्थान से जारी स्थानान्तरण प्रमाण पत्र अथवा चरित्र प्रमाण पत्र पर लिखवा कर प्राप्त करे। तभी प्रवेश आवेदन पत्र भरे। इस मूल प्रमाण पत्र को काउन्सलिंग के समय प्रस्तुत करे।
4. बी.ए/बी.कॉम/बी.एस सी (BA/BCom/B.Sc.) **तीनो वर्षों की** / बी.टेक (B.Tech) **चारो वर्षों की** अंकतालिका व प्रमाण पत्र
एम.ए/एम.कॉम/एम. एस सी (MA/MCom/M.Sc) **दोनों वर्षों की** अंकतालिका व प्रमाण पत्र
नोट : यदि किसी अभ्यर्थी ने अपने स्नातक अथवा स्नातकोत्तर की डिग्री दूरस्थ शिक्षा माध्यम से किसी ऐसे राजकीय/गैर राजकीय/डीम्ड विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है जो खुला विश्वविद्यालय नहीं है। जबकि ऐसे विश्वविद्यालयों को नियमित रीति से अथवा स्वयं पाठी विद्यार्थियों को अध्ययन कराके डिग्री प्रदान करने की यूजीसी से मान्यता है। ऐसी स्थिति में विद्यार्थी अपनी अंकतालिका एवं डिग्री के साथ उक्त विश्वविद्यालय को **Dual Mode** से (नियमित के साथ दूरस्थ शिक्षा पद्धति) मान्यता किस वर्ष से किस वर्ष तक की है, इसका प्रमाण काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करे। अन्यथा उक्त मान्यता के अभाव में विद्यार्थी को काउन्सलिंग के समय प्रवेश से रोका जा सकता है।
5. निर्धारित प्रारूप में शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र।
6. निर्धारित प्रारूप में घोषणा पत्र।
7. एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी. (Non Creamy layer)/एस.बी.सी. अथवा एम.बी.सी (Non Creamy layer) / एस.टी. (अनुसूचित क्षत्र), विधवा/ परित्यक्ता/शारीरिक रूप से विकलांग/ सेनिक/आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) सम्बंधित प्रमाण पत्र।
8. ओ.बी.सी. (Non Creamy layer)/एस.बी.सी. अथवा एम.बी.सी (Non Creamy layer) /आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) सम्बंधित प्रमाण पत्र, जो एक वर्ष से अधिक पुराना न हो। यदि एक वर्ष से अधिक पुराना है तो अभ्यर्थी (Non Creamy layer) में आता है, इस आशय का शपथ पत्र लेकर आए। (यह शपथ पत्र भी ओ.बी.सी. (Non Creamy layer)/एस.बी.सी. अथवा एम.बी.सी (Non Creamy layer) /आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) सम्बंधित प्रमाण पत्र जारी करने से तीन वर्ष से अधिक का नहीं होना चाहिए।
9. यदि काउन्सलिंग में आप द्वारा प्रस्तुत किया गये सभी दस्तावेज सत्य व वैध पाया गये तो पाठ्यक्रम शुल्क के रूप में आपको रु. 26,880 (प्रथम वर्ष शुल्क) बैंक चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय प्रांगण में स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में उसी दिन जमा कराना होगा।
10. राजस्थान राज्य से बाहर के स्थानों पर सेवारत अध्यापकों के लिए 100/— रुपये के स्टाम्प पर नोटरी युक्त शपथ पत्र। (प्रारूप संलग्न)

11. रक्षा कर्मी के लिए प्रमाण पत्र (प्रारूप संलग्न)
12. राजस्थान राज्य से बाहर के राज्यों में अध्यापन कर रहे आवेदकों के लिए शपथ पत्र(100/- रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी कराकर प्रस्तुत करें।)
13. तलाकशुदा महिला आवेदकों को न्यायालय द्वारा दी गई तलाक की प्रति सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित करके प्रस्तुत करना अनिवार्य होगी। विधवा आवेदकों को अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र सम्बन्धित पंचायत/नगर निगम/नगर पालिका से हस्ताक्षरित करके काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत करना होगा |
14. विधवा एवं परित्यक्ता संवर्ग की महिलाएं इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र संलग्न करें, जिसमें यह उल्लेख हो कि मैं अभी भी विधवा/परित्यक्ता हूँ मैंने पुनः विवाह नहीं किया है। विधवा संवर्ग के लिए पति के मृत्यु का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा एवं परित्यक्ता संवर्ग की महिलाएं न्यायालय से जारी डिक्री की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करें।
15. शारीरिक विकलांग आवेदकों को सम्बन्धित डी.एम.एच.ओ.के द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा |
 - जहाँ मेडिकल कॉलेज है वहाँ मेडिकल बोर्ड अथवा असमर्थता अंग संबंधी आंगिक विशेषज्ञ रीडर द्वारा हस्ताक्षरित या
 - जहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है वहाँ असमर्थता अंग संबंधी आंगिक कनिष्ठ विशेषज्ञ अथवा वहाँ के सी.एम.एच.ओ. द्वारा हस्ताक्षरित
16. राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र (सभी आरक्षित वर्ग के लिए आवश्यक)

शपथ पत्र
(OBC/SBC/MBC अभ्यर्थी द्वारा घोषणा)
(Non Creamy Layer)

मैपुत्र /पुत्री श्री

निवासी गाँव /शहरतहसील

जिला राजस्थान का /की हू। मै शपथ पूर्वक बयान करता /करती हू कि मै राज्य सरकार के नियमानुसार राजस्थान के पिछड़े वर्ग की अधिकृत सूची में सम्मिलित वर्ग OBC/SBC/MBC का /की हू व राज्य सरकार नियमानुसार राजस्थान के पिछड़े वर्ग के अन्तर्गत OBC/SBC/MBC हेतु Non Creamy Layer (NCL) श्रेणी हेतु मुझे कार्यालय.....जिला.....

OBC/SBC/MBC (NCL) प्रमाण पत्र क्रमांक दिनांकजारी किया हुआ है। मै घोषणा करता /करती हू कि मै अभी भी राज्य सरकार नियमानुसार Non Creamy Layer (NCL) श्रेणी के अन्तर्गत ही हू।

हस्ताक्षर शपथ गृहीता

नाम:

दिनांक:.....

बी.एड. 2024 कन्ट्रोल नम्बर :.....

सत्यापन

मै सत्यापित करता /करती हू कि पिछड़े वर्ग की अधिकृत सूची में सम्मिलित वर्ग OBC/SBC/MBC (NCL) के लिए आरक्षित श्रेणी में प्रवेश के लिए लाभ लेने के लिए पात्र हू। प्रवेश के पूर्व या पश्चात इस सत्यापन के मिथ्या पाए जाने की स्थिति में मेरे प्रवेश को निरस्त करने का विश्वविद्यालय को अधिकार होगा एवं शुल्क जम्मा करने का अधिकार होगा। मेरे द्वारा विधि और नियमों के विरुद्ध एवं प्रतिकूल किए गए कृत्यों के लिए मै स्वयं उत्तरदायी होउगा/ होउगी व इस पर विश्वविद्यालय मेरे विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

हस्ताक्षर शपथ गृहीता

नाम:

दिनांक:.....

बी.एड. 2024 कन्ट्रोल नम्बर :.....

आर्थिक कमजोर वर्गों (EWS) के व्यक्तियों को जारी किये जाने वाले Income & Asset Certificate

की वैधता हेतु शपथ पत्र

शपथ-पत्र

(वित्तीय वर्ष

आवेदक के परिवार के मुखिया का जनाधार कार्ड संख्या

1. मैं पुत्र/पुत्री/पति / श्री
निवासी
गांव/ शहर तहसील जिला

राजस्थान का / की हूं। मैं शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूं कि मैं राजस्थान के राज्य के लिये निर्धारित आर्थिक कमजोर वर्ग के मापदण्डों को वित्तीय वर्ष.....के लिये अर्हाता रखता / रखती हूं। मेरे परिवार को वार्षिक आय निर्धारित आठ लाख रू से कम है।

2. मुझे उपखण्ड अधिकारी.....जिलाद्वारा आर्थिक कमजोर वर्ग के लिये Income & Asset Certificate क्रमांक.....दिनांक.....जारी किया गया है।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं सत्यापित करता हूं/करती हूं कि उपर्युक्त विशिष्टियां मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है, और मैं आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित पदों के लिए विचार किये जाने का पात्र हूं। चयन के पूर्व या पश्चात् किसी भी सूचना के मिथ्या या गलत पाये जाने की दशा में या अपात्रता का पता चलने पर मैं सनझता हूं कि अभ्यर्थता/नियुक्ति / चयन रद्द कर दी जावेगी और मैं ऐसी कार्यवाही के लिये और उत्तरदायी होऊंगा जो विधि और नियमों के विरुद्ध एवं प्रतिकूल होगी।

दिनांक:-

स्थान:-

हस्ताक्षर शपथग्रहिता